अर्पण

बाल लैंगिक शोषण से मुक्ति की ओर

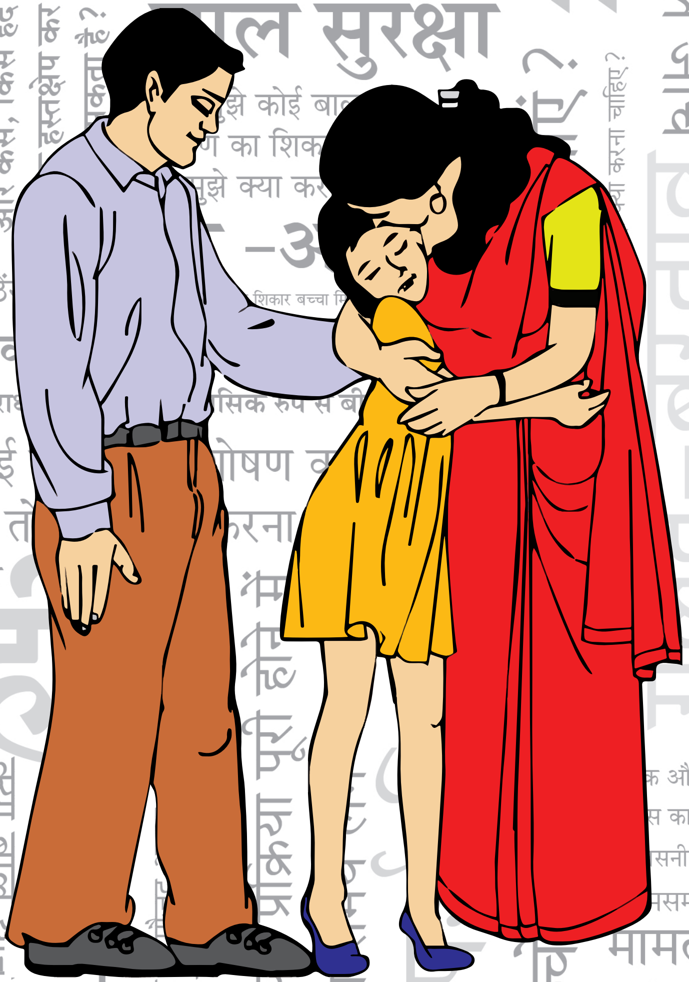

बाल लैंगिक शोषण का प्रसार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अर्पण

बाल लैंगिक शोषण से मुक्ति की ओर

बाल लैंगिक शोषण का प्रसार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रथम प्रकाशन, २०१४
दूसरा प्रकाशन, २०१६

इस साहित्य के प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराईट) 'अर्पण' के पास है| इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश के लिए किया जा सकता है, लेकिन उपयोग की गयी साहित्य के साथ निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर 'अर्पण' को उसका श्रेय देना आवश्यक है:

"अर्पण ने मूलरूप से इस साहित्य को तैयार किया है और इसके प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराईट) अर्पण के पास है| अर्पण एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट है जो महाराष्ट्र विश्वस्त अधिनियम के अनुसार पंजीकरण क्रमांक E२४८७३ के अधीन पंजीकृत है|"

चित्रण:
सुश्री वृषाली थाले और श्री आनंद वेंगुर्लेकर

कवर डिज़ाइन और लेआउट:
सिक्सॉफ़स डिज़ाइन

अर्पण द्वारा विकसित और प्रकाशित

अर्पण
बाल लैंगिक शोषण से मुक्ति की ओर

पता: अर्पण हाऊस, डेल्टा केमिकल्स प्रा. लि., जे-1, कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट, वाल भट्ट रोड, गोरेगांव (ई), मुंबई – ४०० ०६३.
टेलीफ़ोन: २६८६२४४४ / २६८६८४४४; मोबाइल: ९८१९० ५१४४४
परामर्श सहायता के लिए: ९८१९० ८६४४४
ईमेल: info@arpan.org.in; वेबसाइट: www.arpan.org.in
ऑनलाईन कोर्सेस्: www.arpanelearn.com

विषयसूची

1 परिचय
i बाल लैंगिक शोषण क्या है?........................ 1

2 व्यापकता और घटनाएं
i भारत में बाल लैंगिक शोषण की व्याहपकता कितनी है?... 3
ii क्या बाल लैंगिक शोषण विकसित देशों में अधिक होता है? इससे कैसे निपटा जाता है? 4
iii पश्चिमी देशों में ज़्यादा खुला संवाद होता है और लोग बाल लैंगिक शोषण के संबंध में मौजूद कठोर कानूनों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं फिर भी वहां बाल लैंगिक शोषण अधिक क्यों् होता है?................................ 4
iv क्या लड़के भी शिकार हो सकतें हैं?............ 5

3 शोषणकर्ता
i लोग बच्चों का लैंगिक शोषण क्यों करते हैं?.. 6
ii शोषणकर्ता किस प्रक्रिया को अपनाते हैं?...... 7
iii क्या आपको लगता है कि बच्चे “भड़काऊ” कपड़े पहन कर शोषण को आमंत्रित करते हैं?8
iv बालकामुक और किशोरकामुक कौन होते हैं? 8
v नाबालिग द्वारा नाबालिगों के प्रति लैंगिक अग्रिमों के प्रयास किए जाने के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं?................................ 9
vi क्या शोषणकर्ता को समझाना और उन्हें परामर्श देना संभव है? यह कितना मददगार होता है? 9

4 दूसरों को बताना
i बच्चें शोषण के बारे में तत्काल क्यों नहीं बताते हैं?.. 11
ii बच्चें शोषण के बारे में कब बताते हैं?....... 12

5 प्रभाव और उपचार
i बाल लैंगिक शोषण का बच्चों/वयस्कों् पर क्या प्रभाव पड़ता है?............................ 13
ii क्याा आपको लगता है कि बच्चा जिसका शोषण हुआ है कभी अपने नियमित जीवन में वापिस लौट पाता है?.............................. 15
iii आप शोषण के शिकार हुए लोगों को इस सदमे से उभरने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? 15

6 कानूनी हस्ततक्षेप
i क्या बाल लैंगिक शोषण के मामले की पुलिस में रिपोर्ट करना अनिवार्य है? 16
ii एक बार शोषण की रिपोर्ट किए जाने के बाद, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? 17
iii न्यायालय को बाल लैंगिक शोषण के मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कौन से सुरक्षात्मयक उपाय अपनाने चाहिए? 17
iv CWC क्या है और बच्चे को के सामने कब प्रस्तुरत किया जाता है? बाल लैंगिक शोषण के मामले में CWC की क्या भूमिका होगी?... 17
v संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा है?...................................... 18
vi हम आसपास के चिंताओं का निराकरण किस प्रकार कर सकते हैं? यदि प्रतिवादी दोषी पाया जाता है अथवा दोषी नहीं पाया जाता है तो इसका क्यािी तात्पर्य है? 18
vii अगर परिवार सुनवाई के दौरान स्थानांतरित हो जाता है या मामले (Case) को वापस लेने का फैसला करता है तो क्या यह संभव है? क्या अपराधी को ऐसी स्थिति में मुक्त छोड़ दिया जाएगा?... 19
viii यदि कानूनी न्यात उपलब्ध् नहीं है तो परिवार बच्चे् की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है?.. 20
ix क्या POCSO का क्रियान्वपयन सही तरीके से किया जा रहा है?................................ 20

7 प्रौद्योगिकी और बाल लैंगिक शोषण
i हमें प्रौद्योगिकी के बारे में जानने की आवश्यिकता क्यों है और यह लैंगिक रूप से नुकसान पहुंचे बच्चों के लिए किस प्रकार प्रयोग की जा सकती है?......................... 22
ii बच्चे का ऑनलाइन ग्रूमिंग किस प्रकार भिन्न है?.. 24
iii हम ऑनलाइन घटित हो रही समस्याजओं का पता किस प्रकार लगा सकते हैं? 24
iv जब बच्चे प्रौद्योगिकी का इस्तेनमाल करते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं? 24

8 विकलांगता के साथ रहने वाले बच्चे

i विकलांग बच्चों के बाल लैंगिक शोषण का क्यां जोखिम है? 25
ii क्या विकलांग बच्चेल को व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के बारे में बताए जाने की आवश्याकता होती है? 26
iii सीमित संवाद कर सकने वाले बच्चे? को व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए श्रेष्ठि तरीका क्या है? 26

9 बाल लैंगिक शोषण के साथ कार्य करना: जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के लिए कार्य करना

i यह देखते हुए कि बाल लैंगिक शोषण के बारे मेंबात करने में असहजता है, आप जागरूकता लाने के लिए क्याम करेंगे? 27
ii लंबे-चौड़े आंकड़ों के बावजूद, बाल लैंगिक शोषण निवारण कार्यक्रम की पहुंच इतनी सीमित क्योंब है? 28

10 व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा संबंधी जानकारी

i व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा क्या है? इसे कौन प्रदान कर सकता है? 29
ii व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा में आयु के अनुसार विषयवस्तु होना क्योंक महत्वपूर्ण है? 30
iii माता-पिता क्या कर सकते हैं? 31
iv शरीर के निजी अंगों का नाम सिखाना महत्वपूर्ण क्यों है? 32
v CBSE/ ICSE पाठ्यक्रम में विज्ञान के अध्यायों में शरीर के निजी अंगों के बारे में विस्तृत और व्याहप तरीके से बताया जाता है। फिर हमें अपने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा (PSE) कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता क्यों है? 33
vi जब बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बताया जाता है तो क्याक वे सुरक्षित स्पर्श का भी विरोध करेंगे? 33
vii विभिन्न् बोध स्तर के बच्चे व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कक्षाओं में दी गई जानकारी को किस प्रकार ग्रहण करते हैं? 33
viii विशेष आवश्याक्ताओ वाले बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा किस प्रकार सिखाई जाती है? 33
ix बच्चे अपनी रहन-सहन की स्थिति की वजह से आमतौर पर वयस्कों के बीच लैंगिक क्रिया को देखते हैं अथवा लैंगिक व्यवहार प्रकट करने वाले स्थिति और संदेशों को देखते हैं। उनसे व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बात करना कितना व्यावहारिक है? 35
x क्या बच्चे व्यक्तिगत सुरक्षा कक्षाओं में प्राप्त जानकारी और सीखे गए कौशलों को वास्तिविक जीवन में असुरक्षित परिस्थिति का सामना करने पर प्रयोग करने में सक्षम होंगे? 35

11 बाल लैंगिक शोषण के मामलों में हस्तक्षेप करना

i यदि मैं किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में आता हूं जो लैंगिक शोषण का शिकार हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए? 37
ii सग-संबंधी द्वारा लैंगिक शोषण के मामले में कोई व्यक्ति, जो कि उस परिवार का सदस्य नहीं है, कैसे और कितना हस्तकक्षेप कर सकता है? 38
iii मैं वयस्कों के अनुचित व्यावहार को किस प्रकार संभालूं? 39

12 चिंताएं और आशंकाएं

i माता-पिता लैंगिक शोषण जैसे संवेदनशील विषय के बारे में किस प्रकार बात कर सकते हैं? 40
ii कई बार छोटे बच्चों को उनके निजी अंगों को स्परर्श करते हुए देखा जाता है, क्या यह बाल लैंगिक शोषण का लक्षण है अथवा यह किसी व्यक्ति की लैंगिकता का प्राकृतिक प्रतिबिंब है? 41
iii जब बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते हैं तो हम उनकी जिज्ञासा और अन्वेवषण की प्रवृत्ति को किस प्रकार संभालें? 42
iv जब बच्चेक दुर्घटनावश माता-पिता को संभोग करते देख ले तो हमें ऐसे स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? 42
v जब बच्चे हमसे यह पूछे कि बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं तो हमें किस प्रकार जवाब देना चाहिए? 43

vi जब बच्चो ऐसे सवाल पूछे कि जब माता-पिता में से कोई एक अपने कपड़े बदल रहा होता है तो उन्हें कमरे में क्यों नहीं जाने दिया जाता? उस समय माता-पिता में से दूसरा अंदर क्यों जा सकता है तो माता-पिता को किस प्रकार जवाब देना चाहिए? 43
vii क्याो मैं बच्चे् द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिए जाने के लिए समाचारों अथवा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों से उनको कहानी बता सकता/सकती हूं? 44
viii यदि बच्चा माता-पिता से कुछ छिपाता है जैसे कि अपने परिणाम के बारे में अथवा स्कूल की मीटिंग के बारे में, तो पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि बच्चे पर चिल्ला या जाता है अथवा उसे मारा-पीटा जाता है। ऐसे परिस्थिति में इसके बजाय क्या किया जा सकता है?.. 44
ix शिक्षक बिना किसी लैंगिक मंशा के बच्चों को छूते हैं लेकिन कई बार उन पर बच्चों का लैंगिक शोषण करने का आरोप लगता है। कुछ शिक्षक युवा होते हैं और कई बार बच्चे विपरीत लिंग के शिक्षकों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो क्यो यह बच्चे का दोष है और शिक्षक का नहीं? 45
x अपने बच्चे के साथ यौवन आरंभ होने के बारे में बात करने की सही उम्र क्या है? 45
xi यौवन आरंभ होने के दौरान बच्चे की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? 46
xii क्या लड़कों को लड़कियों के यौवन आरंभ होने के बारे में जानना चाहिए? क्या लड़कियों को लड़कों के यौवन आरंभ होने के बारे में जानना चाहिए? 46
xiii क्या माता का बेटे से और पिता का बेटी से यौवन आरंभ होने के बारे में बात करना उचित है? 46
xiv माता-पिता और बच्चों के बीच अच्छे संबंधों की क्या विशेषताएं होती हैं? 47
xv मेरे बच्चे के मेरे साथ अच्छे संबंध होने से मेरे बच्चे के स्वाथ्य और विकास को क्यो लाभ पहुंचेगा? 47
xvi मैं माता या पिता के रूप में बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या कर सकती/सकता हूं? 47

1. परचिय

प्रश्न i

बाल लैंगिक शोषण क्या है?

बाल लैंगिक शोषण (CSA) बाल शोषण का एक प्रकार है। बाल लैंगिक शोषण तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने लैंगिक सुख के लिए किसी बच्चे का प्रयोग करता है।

बाल लैंगिक शोषण ज़्यादातर उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास शक्ति और/अथवा प्राधिकार होता है और कभी-कभी उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर ऐसा न करने का विश्वास होता है। शोषण अधिकतर संबंधियों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा बच्चे की लाचारी और असुरक्षा का आसानी से फायदा उठाया जाता है।

बाल लैंगिक शोषण शारीरिक, दृश्य अथवा मौखिक प्रकृति का हो सकता है। इसमें बच्चे के निजी अंगों (योनि, स्तन/छाती, लिंग, अण्डकोष, कूल्हे, गुदा) को स्पर्श करना और/अथवा सहलाना; बच्चे से अपने निजी अंगों को स्पर्श करवाना अथवा सहलवाना; मुख, योनि अथवा

गुदा प्रवेश अथवा अपने लैंगिक सुख की मंशा से किया गया कोई भी स्पर्श शामिल है। बिना स्पर्श किए हुए शोषण में बच्चे को अपने निजी अंगों दिखाना, बच्चे से बात करते समय लैंगिक भाषा का प्रयोग करना, बच्चे की अश्लील तस्वीरें लेना और बच्चे को कामोद्दीपक लेख (पोर्नोग्राफ़ी) दिखाना शामिल है।

बाल लैंगिक शोषण बच्चे के शरीर और विश्वास का उल्लंघन है और यह कानून के विरुद्ध है।

2

2. व्यापकता और घटनाएं

प्रश्न i

भारत में बाल लैंगिक शोषण की व्यापकता कितनी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारतभर में बड़े पैमाने पर किए गए शोध के आधार पर वर्ष 2007 में बाल लैंगिक शोषण पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था । यह अध्ययन 13 राज्यों में किया गया था और इसमें नमूने के तौर पर 12,447 बच्चों के समूह ने, 2324 युवाओं ने और 2449 स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया था। इसके अलावा भारत में और अधिक केन्द्रीय डेटाबेस अथवा निगरानी तंत्र नहीं है जो बाल लैंगिक शोषण से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों को एक साथ लाते हों।

राष्ट्रीय अध्ययन में निम्नलिखित सूचित किया गया था:

1) 53.22% बच्चों ने एक अथवा एक से अधिक प्रकार के लैंगिक शोषण का सामना किए जाने की सूचना दी।
2) आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार और दिल्ली

में लड़के और लड़कियों, दोनों, ने लैंगिक शोषण के अधिकतम प्रतिशत की सूचना दी।

3) 21.90% जवाब देने वाले बच्चों ने लैंगिक शोषण के गंभीर प्रकार का सामना करने की सूचना दी और 50.76% ने लैंगिक शोषण के अन्य प्रकारों की सूचना दी।
4) 50% अपराधी ऐसे व्यक्ति थे जो बच्चे के जानकार थे अथवा उनकी हैसियत विश्वास और ज़िम्मेदारी की थी (परिजन, निकट संबंधी, मित्र अथवा पड़ोसी)।
5) लड़कों को भी लड़कियों के समान जोखिम था।

जबाव देने वाले बच्चों में से 5.69% ने लैंगिक शोषण होने की सूचना दी (जैसा कि अध्ययन में परिभाषित किया गया है: लैंगिक शोषण से अभिप्राय गुदा, योनि में प्रवेश अथवा ओरल सेक्स है)।

प्रश्न ii

क्या बाल लैंगिक शोषण विकसित देशों में अधिक होता है? इससे कैसे निपटा जाता है?

बाल लैंगिक शोषण (CSA) हर कहीं होता है। असल में, अनुसंधान के अनुसार, भारत में विकसित देशों की अपेक्षा बाल लैंगिक शोषण की अधिक घटनाएं घटित हुईं। विकसित देशों में अधिक मामलों की सूचना दी जाती हैं क्योंकि वहां जागरूकता पैदा करने और बाल सुरक्षा के मुद्दों और मामलों से निपटने के लिए मैकेनिज्म हैं। भारत में बाल लैंगिक शोषण के मुद्दे पर कम ही चर्चा होती है क्योंकि यहां सेक्स से जुड़ी हर बात को एक वर्जित कार्य के रूप में देखा जाता है। परिणामस्वरूप, बच्चे किसी व्यक्तिगत समस्या को अपने माता-पिता अथवा अध्यापकों और देखरेखकर्ताओं को बहुत कम बताते हैं और इस प्रकार उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। अधिकतर विकसित देशों में, "बाल सुरक्षा" शब्दों का प्रयोग आमतौर पर बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा और उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा संचालित सेवाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन सेवाओं में विशिष्ट रूप से शिक्षा, पालक देखरेख, गोद लेने की सेवाएं, जोखिमपूर्ण परिवारों की अखंड रहने में मदद करना और बाल शोषण के आरोपों की जांच करना शामिल हैं। समुदायों और पेशेवरों को बाल शोषण के मामलों से अवगत कराया जाता है और इनकी रोकथाम करने और मामलों को हल करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अध्यापकों और डॉक्टरों के लिए बाल शोषण की किसी भी आशंका अथवा जानकारी की सूचना देना अनिवार्य है।

"सूचना देना अनिवार्य" से अभिप्राय है कि यदि सूचना नहीं दी जाती है तो उस व्यक्ति को कानूनी रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। बाल शोषण के मामले (Cases) की सूचना दिए जाने के बाद, जांच की जाती है। देश के आधार पर, जिन बच्चों का लैंगिक शोषण हुआ है उनके पास परामर्श प्राप्त करने और चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं ताकि उनके बहाली के सफर में मदद मिल सके।

प्रश्न iii

पश्चिमी देशों में ज़्यादा खुला संवाद होता है और लोग बाल लैंगिक शोषण के संबंध में मौजूद कठोर कानूनों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं फिर भी वहां बाल लैंगिक शोषण अधिक क्यों होता है?

पश्चिमी देशों में बाल लैंगिक शोषण कई उन्हीं कारणों से अनियंत्रित है जिनकी वजह से यह भारत में अनियंत्रित है। बाहरी विभिन्नताओं के बावजूद बाल लैंगिक शोषण का संदर्भ सभी देशों में एक ही है: सिस्टम की वजह से अपराध को सिद्ध करना मुश्किल होता है; जो कुछ घटित होता है उसके लिए प्राय: पीड़ित को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है; परिवार सूचना देने में बहुत अधिक शर्म महसूस करते हैं; आमतौर पर अपराधी के साक्षियों को पीड़ित की बातों की

अपेक्षा अधिक तरजीह दी जाती है; लड़कों को अपने साथ समलैंगिकता के कलंक के जुड़ जाने का डर रहता है (उनका शोषणकर्ता पुरुष होने की स्थिति में) और, नि:संदेह लैंगिकता दुनियाभर में एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जो बाल लैंगिक शोषण के बारे में चर्चा करने में बाधक है।

प्रश्न iv

क्या लड़के भी शिकार हो सकते हैं?

हां, लड़के भी लैंगिक शोषण के उतने ही शिकार होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं। भारत और पश्चिम में लड़कों के लैंगिक शोषण और लड़कियों के लैंगिक शोषण के बीच का अनुपात बहुत अलग है। भारत में लैंगिक शोषण किए गए लड़कों की संख्या भी उतनी ही है जितने लैंगिक शोषण की शिकार लड़कियों की है, हो सकता है लड़कों की संख्या अधिक भी हो; जबकि प्रकाशित अनुसंधान के अनुसार पश्चिम में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शोषण अधिक होता है।

लड़कों के लैंगिक शोषण को कई कारणों से कम रिपोर्टकी जाती है, कम पहंचाना जाता है और कम उपचार किया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि लड़कों का शोषण नहीं होता है अथवा कम होता है। लड़के कई वजह से जोखिम में होते हैं। ये कारण लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हैं:

1) जब सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की बात आती है अथवा अलग-अलग प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करने की बात आती है तो लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता दी जाती है;

2) लड़कों को लैंगिक हिंसा के प्रति जागरूक नहीं किया जाता है, जबकि लड़कियों को कुछ हद्द तक यह शिक्षा प्राप्त होती है;

3) लड़कों पर पुरुषत्व के विभिन्न आदर्शों के अनुसार जीने का भार डाला जाता है;

4) लड़के लैंगिक गतिविधियों में जल्दी शामिल होने के गर्व का सामाजिक दबाव महसूस करते हैं, भले ही वह अनचाहा हो, जिसे शोषण के बजाय एक खेल के रूप में ज़्यादा देखा जाता है।

भले ही लड़कों का शोषण हुआ हो, वे निम्नलिखित कारणों से लड़कियों की अपेक्षा कम रिपोर्ट करते हैं:

क) अपराधी पुरुष होने की स्थिति में, समलैंगिकता व्यवहार से जुड़ा सामाजिक कलंक (लड़कों के अधिकतर लैंगिक अपराधी पुरुष होते हैं);

ख)) इस अपेक्षा को पूरा करने की इच्छा कि पुरुष आत्मनिर्भर होते हैं;

ग) बाहर जाने की स्वतंत्रता और आजादी छिनने का डर (उदाहरण के लिए, हो सकता है वे नहीं चाहे कि उनकी लड़कियों की तरह सुरक्षा की जाए); और

घ) लड़कों को अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखने और “सबल” दिखाई देना सिखाया जाता है।

‘पुरुषत्व आदर्श’ के बारे में उपर्युक्त मिथक और धारणाएं जो कि हमेशा नियंत्रण में है और जो कभी संगति का शिकार नहीं हो सकता है और जो वयस्कों (विशेषकर महिलाओं) और युवा लड़कों के बीच लैंगिक व्यवहार को हानिरहित मानता है, एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां लड़कों के लिए लैंगिक शोषण को प्रकट करने के लिए बहुत कम स्वीकार्यता और सहायता होती है।

3

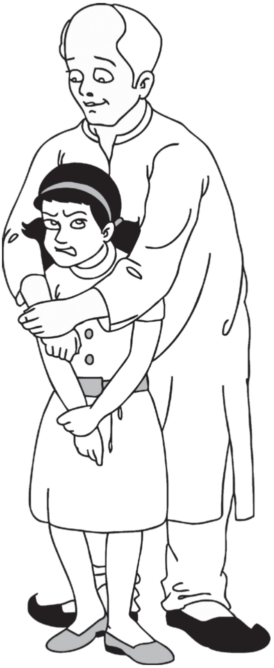

शोषणकर्ता

प्रश्न i

लोग बच्चों का लैंगिक शोषण क्यों करते हैं?

इस प्रश्न का एक आसान और सीधा-सादा जवाब देना कठिन है क्योंकि इसके कई कारण हो सकतें हैं। कुछ शोषणकर्ताओं का स्वयं का शोषण हुआ था इसलिए उनकी लैंगिक आवश्यकताएं प्रभावित हुई थीं। कुछ एक बचपन में पीड़ित हुए थे और वे अपनी शक्तिहीनता और लाचारी पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी भावनाओं से उभरना चाहते हैं। अन्य लोगों का सीधे शोषण तो नहीं हुआ लेकिन किसी चीज़ ने उनके लैंगिक विकास को प्रभावित किया था (जैसे कि घरेलू हिंसा देखना) इसलिए वे किसी विशेष आयु के बच्चों के साथ सेक्स करना चाहते हैं। कई यथोचित तरह से पले-बढ़े लेकिन वे अधिक तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सेक्स हेतु आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले बच्चों का प्रयोग करते हैं।

बहुत कम अपराधी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं। लेकिन उनमें भी आवेग पर नियंत्रण की कमी और तनाव को दूर करने के लिए स्वस्थ अवसरों की कमी के साथ कोई

लैंगिक समस्या होती है (हम में से कइयों की तरह ही, लेकिन अलग प्रकृति में)। ये अपराधी आमतौर पर प्रतिगमन की प्रवृत्ति के होते हैं। प्रतिगमन किसी व्यक्ति द्वारा तनाव का सामना किए जाने पर मानसिक उम्र में पीछे हटने की प्रक्रिया है। जब हम परेशानी में होते हैं अथवा डरे हुए होते हैं तो हमारा व्यवहार अधिक बचकाना हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई माता अपने बच्चे के कम अंक आने के वजह से तनावग्रस्त होती है तो वह अपने बच्चे को पीटती है। यह वही व्यवहार है जो उसके माता-पिता अपनाते थे।

बाल लैंगिक शोषण केवल सेक्स के बारे में ही नहीं है, यह शक्ति और नियंत्रण के बारे में भी है। और इस प्रकार लैंगिक शोषण जानबूझ कर किया हुआ व्यवहार होता है। हमारा समाज इस प्रकार से बना हुआ है जो कुछ विशेष प्रकार के लोगों को विशेष अधिकार की स्थिति में रखता है और कुछ को शक्तियां प्रदान करता है। इस सामाजिक अवसंरचना में लोगों के पास जो शक्ति और विशेष अधिकार हैं वे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे कि लिंग, वर्ग, जाति, क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक अभिविन्यास, आयु और जातीयता। अपराधियों को इन कारकों के आधार पर आमतौर पर अपनी उन शक्तियों की जानकारी होती है जो वे पीड़ित पर रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं "लड़के तो लड़के होते हैं", तो हम लड़कों को दूसरे लोगों के शरीर पर अधिकार प्राप्त होने का अनुभव कराते हैं और इस प्रकार हम उन्हें सहानुभूति और सम्मान सीखने का अवसर प्राप्त करने और अपने कार्यों का दायित्व उठाने से रोकते हैं। अस्वस्थ लैंगिक आवश्यकताओं और ख़राब अनुकरण तंत्र वाले वयस्कों के लिए, बच्चों के साथ सेक्स करना तनाव को मुक्त करने का रास्ता बन जाता है। प्राय: जब वे सेक्स कर लेते हैं तो उनका तनाव दूर हो जाता है, और वे फिर कभी ऐसा न करने का वादा करते हैं - लेकिन उनकी अतृप्त आवश्यकताएं फिर से जाग उठती हैं और बच्चों के साथ सेक्स करने की उनकी इच्छा जारी रहती है। तनाव एक ऐसी सामान्य चीज़ है जो लोगों को वह करने के लिए मज़बूर करता है जिसे वे जानते हैं कि करना ग़लत है। लैंगिक हिंसा हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है और जानबूझ कर की जाती है और शोषण आमतौर पर पीड़ित को उस पर प्रभुत्व अनुभव कराने के लिए किया जाता है। लैंगिक शोषण में कभी भी बच्चे का दोष नहीं होता है। यह बच्चे के व्यवहार के कारण नहीं होता है अथवा बच्चे द्वारा स्वयं को प्रस्तुत किए जाने के तरीके की वजह से नहीं होता है।

प्रश्न ii

शोषणकर्ता किस प्रक्रिया को अपनाते हैं?

जिन लोगों को बच्चों से सेक्स करने की इच्छा अथवा आवश्यकता होती है उनकी बच्चों तक आसान पहुंच होती है अथवा वे किसी विशेष बच्चे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसे तैयार करने की (ग्रूमिंग) प्रक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे और उसके माहौल को शोषण के लिए तैयार किया जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। अपराधी किसी बच्चे की कमज़ोरियों का पता लगाते हैं और लक्ष्य को पहचानते हैं। कमज़ोरियों में शामिल हैं ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिलता अथवा जो अनचाहे अथवा अलोकप्रिय महसूस करते हैं, जिनको पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिनका कोई पर्यवेक्षण नहीं करता है अथवा जिनमें आत्म-सम्मान की कमी होती है। संभावित शोषणकर्ता ऐसे बच्चों को मित्रता के प्रतीक के रूप में सकारात्मक संदेश, आदर, उपहार अथवा चॉकलेट देकर उनकी कमज़ोरियों का फायदा उठाते हुए उनका विश्वास जीतता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए लगाव के आधार पर अपराधी बच्चे को उसके माहौल से अलग-थलग करने के रास्ते खोजता है जैसे कि अपराधी के घर जाना, मूवी देखने जाना अथवा अन्य असार्वजनिक स्थानों पर जाना। जब शोषणकर्ता लैंगिक स्पर्श के लिए बच्चे को असंवेदनशील बनाना शुरू करता है तो विश्वास का यह लगाव और अलगाव बच्चे की सुरक्षा को तोड़ने में मदद करता है। शोषणकर्ता बच्चे को यह भी कह सकता है कि यह स्पर्श प्यार अथवा स्नेह है, बच्चे को जिस किसी तत्व की आवश्यकता होती है वह वोहीं है। तब बच्चा चुप्पी में फंस जाता है (कृपया बच्चे द्वारा सूचना न दिए जाने के लिए उपर्युक्त दो कारणों का संदर्भ लें)। यह

शोषणकर्ता द्वारा बच्चे पर अंतिम नियंत्रण होता है। संभावित शोषणकर्ता बच्चे के आसपास के लोगों को भी तैयार (ग्रूम) करता है, जैसे कि माता-पिता और परिजनों को। वे कई तरीकों से इन वयस्क लोगों का विश्वास जीत कर ऐसा करते हैं।
ग्रूमिंग एक जटिल और क्रमिक प्रक्रिया है, शोषणकर्ता किसी भी प्रकार की लैंगिक गतिविधि शुरू करने से पहले बच्चे को कई सप्ताह, महीने अथवा वर्षों तक ऐसे व्यवहार से ग्रूम कर सकते हैं जो देखने में अनुचित नहीं लगता हो। ग्रूमिंग किया जाना शोषणकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित करता है और शोषण के प्रकट किए जाने अथवा खुलासा किए जाने की संभावना को भी कम करता है।

लेकिन ग्रूमिंग मात्र कुछ मिनटों की भी हो सकती है। इसे शोषणकर्ता द्वारा बच्चों के विरुद्ध सामाजिक मूल्यों और अपेक्षाओं का प्रयोग किए जाने के दौरान पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को यह बताना कि उन्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए अथवा यदि शोषणकर्ता कोई अध्यापक है तो वह बच्चे को फेल करने की धमकी भी दे सकता है। इस प्रकार सभी समाज शोषणकर्ताओं को अपने व्यवहार को जारी रखने और बाल लैंगिक शोषण को मज़बूत करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

प्रश्न iii

क्या आपको लगता है कि बच्चे “भड़काऊ” कपड़े पहन कर शोषण को आमंत्रित करते हैं?

दुख की बात है कि हमारा समाज पीड़ित पर आरोप लगाकर आमतौर पर शोषणकर्ता को माफ कर देता है (यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चे शोषण की सूचना नहीं देते हैं)। तथापि, किसी के कपड़े पहनने के तरीके अथवा व्यवहार का लैंगिक शोषण से कोई लेनादेना नहीं होता है, बस यह केवल शोषणकर्ता को बच्चे पर दोष लगाने का कारण प्रदान करता है।

यदि भड़काऊ कपड़े पहनना बच्चों के लैंगिक शोषण का कारण होता तो तीन माह की अल्पआयु के बच्चों का शोषण नहीं होता। बच्चों के लैंगिक शोषण का दायित्व पूरी तरह केवल शोषणकर्ता का होता है। शोषणकर्ता सेक्स करने के प्रति अभिप्रेरित होता है और यह अभिप्रेरणा उसे बच्चों और उसके आसपास के लोगों को ग्रूम करने की प्रेरणा देता है।

हमें बच्चों को दायित्व और स्वतंत्रता की उचित भावना के साथ वे जो पहनना चाहते हैं वह पहनने की आजादी प्रदान करनी चाहिए। हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि शोषणकर्ता उन बच्चों को चुनेगा जिन बच्चों को सामाजिक नियम और मानकों को पूरा न करने की वजह से दोषी ठहराया जाने की संभावना होती है।

प्रश्न iv

बालकामुक और किशोरकामुक कौन होते हैं?

बालकामुक वे लोग होते हैं जो बच्चों के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षित होते हैं और जो केवल बच्चों के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं। उनकी वयस्कों के साथ लैंगिक सुख की इच्छा नहीं होती है अथवा बहुत कम होती है। किशोरकामुक लोग केवल किशोरों के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं।
बालकामुक और किशोरकामुक कोई भी हो सकता है - बूढ़ा अथवा जवान, अमीर अथवा गरीब, शिक्षित अथवा अशिक्षित, गैर-पेशेवर अथवा पेशेवर, और किसी भी वर्ग अथवा जाति का व्यक्ति। उनकी विशेष आयु अथवा लिंग के प्रति अपनी पसंद होती है। अधिकतर लैंगिक अपराध करने वाले पुरुष होते हैं, लेकिन ज्ञात महिला अपराधियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला अध्यापक।

अपराधियों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों में शामिल है:

क) वयस्कों की अपेक्षा बच्चों के साथ ज़्यादा सहज दिखना;

ख) बच्चों को मोहक अथवा सेक्सी कहना;

ग) बच्चों के साथ अकेला रहने की कोशिश करना;

घ) विशिष्ट व्यवहार के लिए विशेष बच्चों को पुरस्कार देना; और

ड़) ध्यान देने के लिए किसी विशेष बच्चे को चुनना।

यह ध्यान देना ज़रूरी है कि ये केवल संकेतक हैं और यह नहीं माना जाना चाहिए कि इन विशेषताओं वाले लोग संभावित लैंगिक शोषणकर्ता हैं। निरंतर सतर्कता के साथ इन विशेषताओं की जानकारी को चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

बच्चों के साथ सेक्स की इच्छा रखने वाले अधिकतर पुरुष और महिलाएं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। अधिकतर जानते हैं कि वे बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, अथवा जेल जाना नहीं चाहते हैं या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं।

जब बच्चे के आसपास के वयस्क लोग आरंभिक चेतावनी संकेतों से सतर्क हो जाते हैं और जिनमें मददगार तरीके से ऐसे व्यवहार वाले वयस्कों के पास जाने का साहस होता है वे बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में मदद करते हैं।

प्रश्न v

नाबालिगों द्वारा नाबालिगों के प्रति लैंगिक अग्रिमों के प्रयास किए जाने के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं?

बच्चों सहित सभी व्यक्ति लैंगिक प्राणी होते हैं - मनो-लैंगिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना शारीरिक, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है।

विकासात्मक जिज्ञासा के आधार पर बच्चों का लैंगिक व्यवहार में शामिल होना आमतौर पर शर्मिंदा करने वाला और खिसियाना होता है और वे ऐसा अपनी आयु के बच्चों के साथ करते हैं। इस मामले (Case) में, दोनों ही बच्चे जिज्ञासावश 'लैंगिक खेलों' में शामिल होते हैं और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा दूसरे के सामने इसका प्रस्ताव रखे। जब इन बच्चों को ऐसा न करने के लिए कहा जाता है तो वे ऐसा करना बंद कर देते हैं।

जब बच्चे ऐसा करना बंद नहीं करते हैं, जब वे बलपूर्वक दूसरे बच्चे को ऐसा करने के लिए कहते हैं अथवा जब वे डर दिखाते हैं अथवा असामान्य दिलचस्पी लेते हैं तो वे ऐसा कई कारणों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है बच्चे का लैंगिक शोषण हुआ हो अथवा उन्हें आयु-अनुचित लैंगिक संदेश मिलने के कारण वे सेक्स और लैंगिकता को लेकर भ्रमित हों।

बच्चा लैंगिक शोषणकर्ता बनने के शुरुआती चरणों में हो। यह जानना ज़रूरी है कि बच्चों और युवाओं के लैंगिक कदाचार के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। बच्चों के लैंगिक कदाचार को पहचानना और शुरुआती चरणों में बिना किसी शर्म अथवा अपराधबोध के उचित लैंगिक व्यवहार के बारे में शिक्षा देना बच्चों के विकास में मदद करता है और उन्हें भविष्य में लैंगिक शोषणकर्ता बनने से भी रोकता है।

प्रश्न vi

क्या शोषणकर्ताओं को समझाना और उन्हें परामर्श देना संभव है? यह कितना मददगार होता है?

लैंगिक शोषणकर्ताओं को परामर्श देने और उनका प्रबंधन करने के अनेक तरीके हैं।

इसे समझने के लिए, विशेषकर भारत में इसे और अधिक समझने के लिए इस पर कार्य चल रहा है। पुलिस सहित सभी लोगों द्वारा अपराधियों की मदद किया जाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

शोषणकर्ताओं को अपनी लैंगिक इच्छा को समझना और उन पर नियंत्रण करना सीखने की आवश्यकता होती है (कभी-कभी ध्यान द्वारा);

उन्हें निर्णय लेने की अच्छी तकनीकें सीखनी होती है; उन्हें अपने व्यवहार की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता होती है; और उन्हें यह सीखना होगा कि उनकी कौन सी बातें अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाती है (सहानुभूति)।

शोषणकर्ताजितना छोटा होगा उसको बदलना उतना ही कम मुश्किल होगा। हमने पाया है कि युवा शोषणकर्ताओं के साथ काम करना और उन्हें बदलना आसान होता है क्योंकि वे पर्यवेक्षण और सलाह के प्रति अधिक खुले होते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में शोषणकर्ताओं की थेरपी करने से थेरपी में सफलता मिली है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर शोषणकर्ता कभी भी पता नहीं पड़ पाता इसलिए उन्हें वह मदद कभी भी नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।

4

दूसरों को बताना

प्रश्न i

बच्चे शोषण के बारे में तत्काल क्यों नहीं बताते हैं?

बच्चों द्वारा शोषण की घटना के बारे में तत्काल न बताए जाने अथवा कभी भी किसी को नहीं बताए जाने के अनेक कारण हैं:

क) कई परिस्थितियों में, बच्चों को सेक्स और लैंगिकता के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी वजह से बच्चे घटना को आमतौर पर अपराध, अथवा असामान्य/अप्राकृतिक व्यवहार के रूप में नहीं देखते हैं। ऐसा विशेषकर तब होता है जब लैंगिक शोषण इस प्रकार किया जाए कि बच्चा इसे सौम्य और प्यार समझे। 'सुरक्षित' और 'असुरक्षित' स्पर्श के बारे में कोई समझ न होने की वजह से बच्चा लैंगिक शोषण को प्यार की अभिव्यक्ति समझ सकता है और शोषणकर्ता को अपने से प्यार करने वाला और परवाह करने वाला समझ सकता है।

ख) कुछ परिस्थितियों में, जब बच्चे को उल्लंघन का पता चल जाता है तो वे इसके बारे में बताने के लिए भ्रमित और

डरा हुआ महसूस करते हैं। उनके भ्रम में अनेक चिंताएं शामिल होती हैं, जैसे कि क्या वे जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह मुश्किल में फंस जाएगा है, क्या वे स्वयं भी मुश्किल में फंस जाएंगे और उसके बाद क्या होगा।

ग) आमतौर पर बच्चों का यह डर होता है कि उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, विशेषकर यदि शोषणकर्ता कोई जाना पहचाना व्यक्ति हो और संभवत: कोई ऐसा व्यक्ति को जिसके पास शक्ति भी हो।

घ) बच्चे/युवा को इस बात का भी डर हो सकता है कि उस पर यह भी आरोप लग सकते हैं कि शोषणकर्ता द्वारा उसे चुने जाने के लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने शोषणकर्ता को हां भरी है और शोषणकर्ता का कहना माना है।

ड़) बच्चे द्वारा मदद न मांगे जाने अथवा शोषण की शिकायत न किए जाने से उसे स्वयं पर पीड़ित का ठप्पा लगने की शर्म महसूस हो सकती है। यदि बच्चा एक लड़की है तो उसे ख़राब लड़की का ठप्पा लगने और कुंवारी न होने का ठप्पा लगने का डर होता है।

च) बच्चे को माता-पिता का प्यार खोने और शोषणकर्ता (जो कि आमतौर पर कोई जानकार/संबंधी/ देखरेखकर्ता होता है) का प्यार खोने का भी डर होता है। बच्चे को दोस्ती खत्म होने का भी डर होता है।

छ) बच्चा शोषणकर्ता द्वारा उसे अथवा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए जाने की धमकी का भी डर हो सकता है।

इन कारणों से बच्चे शोषण के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, बच्चे प्राय: अपने आपको यह समझा लेते हैं कि जो कुछ घटित हुआ वह एक सपना था अथवा एक दुर्घटना थी अथवा उन्होंने इसकी कल्पना की थी - अथवा वे स्वयं को यह समझा लेते हैं कि जो कुछ घटित हुआ है वे उससे उबर जाएंगे और इसके बारे में किसी और को बताने से परिस्थितियां और अधिक ख़राब हो सकती हैं।

प्रश्न ii

बच्चे शोषण के बारे में कब बताते हैं?

सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो बच्चों को शोषण के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करता है वह है मददगार, विश्वासी और सहानुभूतिपूर्ण माहौल। बच्चे आमतौर पर उस व्यक्ति के सामने ही बात बताते हैं जिनके सामने वे सुरक्षित महसूस करते हैं। वे केवल उस व्यक्ति पर ही विश्वास करेंगे जो उनके अनुसार उनकी बात पर विश्वास करेगा, उनकी मदद करेगा और उनके साथ जो कुछ घटित हुआ है उसके लिए उन पर दोष नहीं डालेगा।

कुछ और परिस्थितियां भी हैं जो बच्चे को शोषण के बारे में बताने के लिए प्रेरित करती हैं।

क) जब शोषणकर्ता किसी और बच्चे का शोषण करना शुरू करता है जैसे कि भाई-बहन अथवा मित्र का, तो पीड़ित उसे बचाने के लिए इसकी जानकारी किसी को देगा।

ख) जब बच्चा और अधिक दर्द और अभिघात को सहन नहीं कर पाता है।

5

प्रभाव और उपचार

प्रश्न i

बाल लैंगिक शोषण का बच्चों/ वयस्कों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

बाल लैंगिक शोषण के विविध और असंख्य परिणाम होते हैं। लैंगिक शोषण बच्चे के जीवन को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तरों पर और लैंगिक व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करता है।

<u>शारीरिक प्रभावों में</u> गर्भधारण होना, यौनि अथवा गुदा क्षेत्र में चीरा लगना, लैंगिक संचारित रोग होना, संक्रमण की वजह से निजी अंगों से रक्तस्राव होना अथवा असामान्य बदबू आना, बार-बार मूत्र मार्ग का संक्रमण होना, मलत्याग के समय दर्द होना, अनैच्छिक रूप से चुप रहना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं और अक्सर सिरदर्द सहित मनोदैहिक बीमारी होना शामिल हैं।

<u>मनोवैज्ञानिक प्रभावों में</u> लोगों अथवा जगहों से असामान्य अथवा बिना वजह डर लगना, डरावने सपने आना, खाने और सोने में बाधा होना, तनाव, अति-चौकस रहना, भावनात्मक रूप से

आश्रित रहने वाला व्यवहार, उदासीनता, अक्सर दिन में सपने देखना, अलगाव महसूस करना, स्वयं पर और दूसरे लोगों पर विश्वास करने की कमी, प्रतिगामी व्यवहार जैसे की अंगूठा चूसना, मिट्टी खाना और बिस्तर गीला करना शामिल हैं। सबसे गंभीर प्रभाव आत्महत्या करना हो सकता है।

सामाजिक प्रभावों में अचानक से संबंध तोड़ना, अत्यधिक खुश व्यवहार, गुस्सा आना और शैक्षिक प्रदर्शन में काफी अधिक बदलाव आना शामिल हैं।

बचपन में लैंगिक शोषण होने से लैंगिक व्यवहार और प्रकार में प्रबल और दृश्य बदलाव आ सकते हैं। इनमें से कुछ बदलावों में अधिक कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना, लैंगिक तनाव, और दोहराए जाने वाला लैंगिक व्यवहार जैसे कि बहुत अधिक हस्तमैथुन करना, निरंतर लैंगिक क्रिया, अन्य लोगों के प्रति लैंगिक रूप से गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करना अथवा दूसरों के प्रति गुस्सा आना शामिल हैं। यह भी संभव है कि बाल लैंगिक शोषण का अभिघात लैंगिक पहचान तनाव अथवा भ्रम उत्पन्न कर सकता है।

शोषण का प्रभाव, प्रभावित करने वाली चीज़ों के आधार पर अलग-अलग होगा जिनमें लिंग, सेक्स और आयु शामिल हैं। प्रभावित करने वाली अन्य चीज़ों में पीड़ित के साथ शोषणकर्ता का संबंध, लैंगिक शोषण की प्रकृति (शोषण कितनी बार, कहां और कितने शोषणकर्ता ने किया), पीड़ित के आसपास उपलब्ध सहायता सिस्टम, और शोषण के समय पीड़ित की मानसिक अवस्था शामिल हैं। अल्पावधिक प्रभाव को दीर्घावधिक प्रभाव से अलग करना कठिन है क्योंकि अल्पावधिक प्रभाव किसी दीर्घावधिक समस्या की शुरुआत हो सकता है।

कुछ दीर्घावधिक प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं:

क) विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बच्चे को धोखा दिए जाने के अनुभव बच्चा एकाकीपन में जा सकता है और अंतरंग संबंध बनाने और पारस्परिक गतिशीलता से विमुख हो सकता है। इससे बच्चा महत्वाकांक्षी सीमाएं तय कर लेता है जिससे भविष्य में उसका शोषण होने और फिर से पीड़ित होने का ख़तरा होता है।

ख) कलंक लगने के डर से आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, अपराध, शर्म महसूस हो सकती है और परिणामस्वरूप स्वयं को अलग-थलग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

ग) शक्तिहीनता के अनुभव से अवसाद हो सकता है, व्यक्ति कटा हुआ रह सकता है अथवा असामाजिक व्यवहार और अपराध में शामिल हो सकता है (नशीली दवाओं, एल्कोहल का सेवन) जिसमें लैंगिक रूप से अपराधी व्यवहार दर्शाना और अपने स्वयं के शोषण को पुन:अभिनीत करना शामिल है।

घ) छोटी आयु में लैंगिक गतिविधियों का अनुभव लैंगिक अविवेकी व्यवहार को जन्म देता है अथवा छेड़छाड़ के अनुभव की यादों की वजह से व्यक्ति सेक्स से विमुख हो सकता है, उत्तेचित होने और चरम सुख प्राप्त करने में कठिनाई और स्वयं और अपनी लैंगिकता के बारे में नकारात्मक अर्थ निकालना शामिल है।

अंतिम टिप्पणी के रूप में, लैंगिक शोषण का अनुभव करने वाले बच्चों पर उनके अभिभावकों/विश्वासी वयस्क लोगों/प्रियजन द्वारा विश्वास किए जाने और उनकी सहायता किए जाने पर वे बहुत ही तेज़ी से ठीक होते हैं। असल में, कुछ बच्चे और युवा पीड़ित, विशेषकर जिनका शोषण से पहले मज़बूत भावनात्मक सहायता सिस्टम होता है, उन पर बाल लैंगिक शोषण का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। अंतत: यह याद रखना ज़रूरी है कि शोषण के प्रभावों के बारे में जागरूक रहना चाहिए, यह भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार/व्यवहारात्मक बदलावों और उनके बाल लैंगिक शोषण के बीच संबंध को लेकर कोई धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए।

प्रश्न ii

क्या आपको लगता है कि शोषण का शिकार बच्चा कभी अपने सामान्य जीवन में वापस जा सकता है?

हां, लैंगिक शोषण उन कई अनुभवों में से बस एक है जो हमारे बच्चे अनुभव कर सकते हैं, जिनमें युद्ध, गरीबी, चोरी, हत्या, बाढ़, या फिर अपनी प्यारी दादी की मृत्यु शामिल हैं। बाल लैंगिक शोषण के शिकार आगे सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वे दर्द से मुक्त होना सीख सकते हैं। वे अपनी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं कि शोषण ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है ताकि वे उन प्रभावित क्षेत्रों पर काम करें और उन्हें हल करें। ज़्यादातर उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान समर्थन की ज़रूरत होती है। कभी-कभी इसके लिए एक सही चिकित्सक, या यहां तक कि एक ध्यान रखने वाले वयस्क व्यक्ति की भी ज़रूरत होती है।

ज़्यादातर मामलों मे, लोगों के जीवन बस तब बदल जाते हैं, जब जिनसे वो प्यार करते हैं या जिन पर विश्वास करते हैं, वे उन्हें सुनते हैं और उनको सहारा देने का संकल्प लेते हैं। इस तरह, एक बार हम किसी शोषण के शिकार व्यक्ति का विश्वास पा लें, तब हमारे पास उन्हें अन्य संसाधनों की ओर राह दिखाने का अवसर होता है, जो उनकी आगे मदद कर सकते हैं।

प्रश्न iii

हम शोषण के प्रभाव से उभरने में पीड़ितों की कैसे मदद कर सकते हैं?

सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी शोषण के शिकार व्यक्ति को ज़रूरत होती है, वह है सहारा, विशेष रूप से देखभाल करने वालों से। समर्थन प्रणाली को:

क) शोषण के शिकार व्यक्ति के नज़रिए पर विश्वास करना चाहिए,

ख) बच्चे/युवा को दोष नहीं देना चाहिए,

ग) बच्चे/युवा को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने देना चाहिए, और

घ) पूरी चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान समर्थन प्रदान करना चाहिए।

कुछ मामलों में, पीड़ित खुद ही अपने दम पर ठीक हो सकता है, विशेष रूप से, अगर वे जानते हों कि जो हुआ उसमें उनकी कोई ग़लती नहीं थी और उन्हें पता हैं कि फिर से दुरुव्यवहार किए जाने से वे खुद को कैसे बचा कर सकते हैं।

अन्य मामलों में, पीड़ितों को पेशेवरों की मदद उदाहरण के लिए, परामर्श या मनोरोग देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। पारिवारिक और पेशेवर समर्थन वाले बच्चे और वयस्क, कई बार, दर्दनाक अनुभवों के बावजूद लौट सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं।

6

कानूनी हस्तक्षेप

प्रश्न i

क्या पुलिस को बाल लैंगिक शोषण के मामले (Case) को सूचित करना अनिवार्य है?

हां। 'लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)', 2012 की धारा 19, पुलिस को लैंगिक शोषण का मामला रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है। इस कानून में कहा गया है कि: 'कोई भी व्यक्ति (बच्चों सहित), जिसे लगता है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध होने की संभावना है या उसे पता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वह इस तरह की जानकारी को (क) विशेष किशोर पुलिस इकाई; या (ख) स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा।

22 फ़रवरी 2013 में शिक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र ने भी, स्कूलों के लिए शोषण की ऐसी किसी भी घटना के उनके संज्ञान में लाए जाने पर, लैंगिक शोषण को सूचित करना अनिवार्य कर दिया है।

प्रश्न ii

एक बार जब शोषण की सूचना दी जाने के बाद, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी?

अगर बच्चा शोषणकर्ताको जानता है, तो शोषणकर्ताको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 'लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)', 2012, के तहत, शोषण के स्तर पर ध्यान दिए बिना एक चिकित्सीय जाँच अनिवार्य है। बच्चा और शोषणकर्ता दोनों को चिकित्सीय जांच के लिए भेजा जा सकता है। पुलिस घटना के समय पहने गए कपड़ों को सबूत के रूप में भी एकत्रित करेगी।

बच्चे के बयान को दर्ज किया जाएगा। की परवाह किए बिना । यदि अन्य लोग हैं जिसे बच्चे ने बताया हो, तो उनके बयान भी दर्ज किये जाएंगे।

POCSO अधिनियम, 2012, में, जांच करते समय, जांच के दौरान बच्चे की रक्षा करने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, बच्चे को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर बच्ची कोई लड़की है, तो केवल किसी महिला पुलिस अधिकारी को ही बयान लेना चाहिए। बच्चे का बयान, बच्चे के निवास पर या किसी अन्य जगह पर जहां बच्चा सहज हो, लिया जा सकता है।

बच्चे के इलाके का दौरा करने वाले पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होने चाहिए। जांच और परीक्षण के दौरान, बच्चे की पहचान की रक्षा की जाएगी और गोपनीय रखा जाएगा।

प्रश्न iii

CWC क्या है और बच्चे को CWC के समक्ष कब पेश किया जाता है? बाल लैंगिक शोषण के मामलों में CWC क्या भूमिका निभाएगी?

CWC बाल कल्याण समिति को संदर्भित करता है। समिति की कार्य यह जांच करना है कि क्या एक बच्चे के घर का माहौल सुरक्षित है और यदि नहीं, तो उस बच्चे को बाल गृह में दाखिल करा कर, उसे राज्य की सुरक्षित देखभाल में रखना। आमतौर पर जब एक लैंगिक शोषण की सूचना दी जाती है तो, प्रारंभिक जांचों के बाद, बच्चे को CWC के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर माता-पिता बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, तो बच्चे को बाल गृह में नहीं रखा जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित CWC की एक सूची अनुबंध में दी गई है।

प्रश्न iv

बाल लैंगिक शोषण से जुड़े किसी मामले (Case) में सुनवाई करते समय अदालत को क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाना चाहिए?

लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और इसके तहत बनाए गए नियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लैंगिक शोषण से संबंधित सभी मामलों में सुनवाई के लिए बच्चे के अनुकूल विशेष प्रक्रियाएं और एक विशेष अदालत नियत करते हैं।

बच्चे के लिए सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को कम दर्दनाक बनाने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों में शामिल हैं:

क) अगर बच्चे को अदालत में गवाही देने में डर लगता है तो बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। गवाही देते समय, आरोपी को बच्चे की दृष्टि से परिरक्षित किया जाना चाहिए।

ख) न्यायाधीश, अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील सहित सभी व्यक्ति अदालत की औपचारिक वेशभूषा में नहीं होने चाहिए। बैठने की व्यवस्था किसी भी औपचारिक अदालत से अलग और कम डरावनी होनी चाहिए। मामले के लिए बुलाए जाने से पहले, बच्चे को समर्थन करने वाले व्यक्ति के साथ एक विशेष कमरे में इंतज़ार कराया जाना चाहिए जिसमें बहुत सारे खिलौने और नाश्ते के चीज़ें होनी चाहिए, और न कि अदालत के किसी खुले कमरे में इंतज़ार कराया जाना चाहिए।

ग) इस कमरे से अदालत के कमरे में एक अलग

प्रवेश द्वार प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे को कठघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, बल्कि बैठकर गवाही देने की अनुमति दी जानी चाहिए और गवाही के दौरान उसे बार-बार अंतराल दिए जाने चाहिए।

घ) बच्चे को इन अंतरालों के दौरान पानी पीने या जलपान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर वह बच्चा डर हुआ है या उस दिन गवाही दे नहीं पा रहा है, तो मामले (Case) को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अन्यथा बच्चे की तहकीकात और जिरह उसी दिन की जानी चाहिए।

ङ) गवाही के दौरान किसी परामर्शदाता (Counsellor) या किसी समर्थन करने वाले व्यक्ति को बच्चे के बगल में बैठने दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के प्रत्यक्ष जिरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील को प्रश्नों को लिखित रूप में जज को देना चाहिए और जज को फिर उन्हें बच्चे के समक्ष एक सरल और सहज तरीके से रखना चाहिए।

च) अगर बच्चे को अदालत की भाषा समझ नहीं आती है या कोई विकलांगता या सीखने से संबंधित विकार है, तो बयान के दौरान एक अनुवादक या एक विशेषज्ञ प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रश्न v

संपूर्ण प्रक्रिया कितनी समय सीमा के भीतर खत्म हो जाएगी?

इससे पहले, मुकदमे में लगभग एक से दो साल लग जाते थे। लेकिन लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया में तेज़ी लाए जाने की उम्मीद है। पुलिस द्वारा की गई जांचें, FIR दर्ज करने की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद, विशेष अदालत मामले पर ग़ौर फरमाएगी और वह आरोप तय करेगी जिसके तहत आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सज़ा उस नियत आरोप के अनुसार दी जाएगी जो साबित हो जाएगा। जांच पूरी हो जाने के बाद, मुकदमे को शुरू होने में लगभग एक महीने लगता है।

निचली अदालत (जो एक विशेष रूप से नामित सत्र अदालत है), कोशिश करेगी कि आरोप तय किए जाने तारीख से लगभग दो महीनों के भीतर मामला पूरा हो जाए। मुकदमे के शुरू हो जाने के बाद, बच्चे को अदालत के समक्ष अपना बयान देने के लिए एक या दो बार अदालत में बुलाया जाएगा।

आदर्श रूप में, किसी विशिष्ट मामले (Case) में, पूरी प्रक्रिया, थाने में पहली शिकायत दर्ज कराए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी। लेकिन, यह कानून नया है और इसकी प्रक्रिया अभी भी धीरे-धीरे विकसित हो रही है, क्योंकि प्रणालियां अभी भी ज़्यादातर अदालतों में नहीं हैं।

प्रश्न vi

हम दोषी या दोषी नहीं पाए जाने का अर्थ क्या होता है, उससे जुड़ी चिंताओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं?

FIR (प्रथम जांच रिपोर्ट) दर्ज हो जाने और अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद, आरोपी को पूछा जाएगा कि क्या वह जुर्म क़बूलना चाहता है/चाहती है, अर्थात, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करना चाहता है/चाहती है। यह सामान्य चलन है कि आरोपी अपने जुर्म नहीं क़बूलेगा, अर्थात, आरोपों से इनकार कर देगा, और मुकदमा शुरू हो जाएगा। मुकदमे के अंत में, आरोपी व्यक्ति या तो दोषी पाया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। यह कई प्रकार के तथ्यों पर निर्भर करेगा - घटना के समय और उस समय के बीच का अंतराल, जब बच्चे ने बड़ों को इसके बारे में सूचित किया था और जब बड़े पुलिस स्टेशन गए थे और शिकायत दर्ज कराई थी। जितनी ज़्यादा देरी हुई होगी, इकट्ठा किए गए सबूत मामले (Case) को साबित करने के लिए कमज़ोर और अपर्याप्त हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में, बिना किसी भी समर्थन चिकित्सा या फोरेंसिक सबूत के, केवल बच्चे द्वारा दिया गया बयान ही सबूत होता है। इससे बाल लैंगिक शोषण के मामले (Case) को साबित करना मुश्किल

हो जाता है। अगर शोषणकर्ता पिता या करीबी रिश्तेदार या घर के लिए रोटी कमाने वाला होता है, तो मां या परिवार के अन्य सदस्य हो सकता है मुकदमा चलाने का समर्थन न करें और सबूत देने भी न आएं।

हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अपराध सिद्धि की दर बहुत कम हैं। बाल लैंगिक शोषण के मामलों में अपराध सिद्धि की दर केवल 10% के आसपास है (जो सामान्य अपराध सिद्धि की दर से, जो करीब 26% है, बहुत कम है)।

तो हम आरोपी के बरी हो जाने को क्लीन चिट के रूप में नहीं देख सकते हैं या यह साबित नहीं होता कि शोषण हुआ ही नहीं। यह अगर किया गया तो, उस बच्चे के लिए, जिसने चुप रहकर पीड़ा सहने के बजाय अपराध को सूचित करने का साहस किया, बहुत हतोत्साहित करने वाला होगा। बच्चे को इसके बारे में जागरूक करना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले (Case) का परिणाम अपराध सिद्धि होगा। लेकिन एक बार मामला (Case) पुलिस को सूचित कर दिया गया और आरोपी को मुकदमे का सामना करना पड़ा, तो पूरी प्रक्रिया आरोपी व्यक्ति के लिए कलंक बन सकती है और हो सकता है वह यही अपराध फिर से न दोहराए। इसके अलावा जिस बच्चे ने अपराध की सूचना दी है, और ज़्यादा निडर हो जाएगा और परिवार के सदस्य भी और ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे।

बरी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि बच्चा सच नहीं बोल रहा था। इसका केवल यह मतलब है कि अभियोग पक्ष (पुलिस और अभियोजक) अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में सक्षम नहीं रहे। किसी भी बच्चे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता हैं और न ही अपराध की सूचना देने के लिए या अपराध सिद्ध करना पक्का न करने के लिए दोषी महसूस नहीं कराया जा सकता है। बच्चे को बरी होने की खबर से लगने वाले आघात से निपटने के लिए और ज़्यादा समर्थन और सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रश्न vii

अगर परिवार सुनवाई के दौरान स्थानांतरित हो जाता है या मामले (Case) को वापस लेने का फैसला करता है तो क्या यह संभव है? क्या अपराधी को ऐसी स्थिति में मुक्त छोड़ दिया जाएगा?

एक बार FIR दर्ज कराई जाने और जांच पूरी हो जाने के बाद, अगर पुलिस को पाता लगता है कि पर्याप्त सबूत हैं, तो कागज़ात अभियोजक को भेज दिए जाएंगे और मुकदमा शुरू कर दिया जाएगा। पीछे लौटना या 'मामला वापस लेना', संभव नहीं है क्योंकि यह एक आपराधिक शिकायत है और अभियोजन राज्य द्वारा किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से पीड़ित द्वारा नहीं। आपराधिक मुकदमे में केवल पीड़ित और उसके रिश्तेदार ही गवाह होते हैं।

बच्चा और उसके परिवार वाले कार्यवाही शुरू नहीं करते या मुकदमे की अगुवाई नहीं करते। वह एक तरीका जिससे कोई बच्चा या उसके परिवार वाले इससे निपटते हैं वह है अदालत में 'प्रतिकूल बयान दे दें' और अभियोजन पक्ष का समर्थन न करें। इसका मतलब यह है, कि माता-पिता या बच्चा न्यायाधीश के सामने तथ्यों को बताते समय अपनी उस कहानी को बदल लें, जो उन्होंने शुरू में पुलिस को बताई थी। इससे विसंगति होगी और न्यायाधीश को अपराधी ठहराने में मुश्किल हो सकती है। कई उदाहरण हैं जहां न्यायाधीश के सामने अदालत में पीड़ित ने आरोपी को पहचानने से मना कर दिया। शोषण का शिकार बच्चा यह भी कह सकता है कि आरोपी व्यक्ति वह नहीं है जिसने उसका शोषण किया था और पुलिस ने ग़लत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मामले से पीछे हटने का एक और तरीका यह भी है कि माता-पिता अदालत में आएं और न्यायाधीश के सामने यह कहें कि उनका बच्चा/वार्ड अदालत के सामने आकर बयान दर्ज नहीं करना चाहता है।

अगर बच्चा और उसका परिवार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करता है, तो न्यायाधीश को अपराधी को आरोपी ठहराना संभव नहीं होगा। यह आवश्यक है कि शोषण का शिकार

बच्चा अदालत में आरोपी को पहचाने। केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में और जब घटना के दूसरे गवाह हों जो अदालत में आकर न्यायाधीश के सामने वह बताने के लिए तैयार हों जो उन्होंने पहले पुलिस को बताया था, न्यायाधीश, पीड़ित या उसके रिश्तेदारों के गवाही देने के लिए न आने या उनके अदालत में 'प्रतिकूल बयान' देने के बाद भी आरोपी ठहरा पाएगा।

सभी अन्य मामलों में, आरोपी को बरी कर दिया जाएगा अगर शोषण का शिकार बच्चा शोषण का शिकार बच्चा अदालत में आरोपी की पहचान नहीं करता है।

प्रश्न viii

अगर कानूनी न्याय उपलब्ध नहीं है, तो परविार बच्चे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

एक बच्चा जो लैंगिक शोषण सह चुका है उसे देखभाल और बहुत कोमल व्यवहार की ज़रूरत होती है। बच्चे को पहले ही बताया जाना चाहिए कि इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपराध सिद्ध होने और बरी किए जाने के मुद्दे हमारे हाथ में नहीं हैं। बच्चा को यह पता होना महत्वपूर्ण है कि रिहाई केवल इसलिए होती है क्योंकि अभियोजन पक्ष सहायक (संपोषक) सबूत के साथ पूरे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया। यह आवश्यक है कि हर कोई सहयोग करे और सभी हितधारक - पुलिस, अभियोजक और न्यायाधीश सरोकार और संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करें। असली न्याय तब होता है जब हर कोई उस स्थिति से आवश्यक परिवर्तन करे, जिसमें शोषण हुआ था। अर्थात्, बच्चा, परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज - सभी इस सकारात्मक परिवर्तन में भाग लें। कानूनी न्याय न्याय का केवल एक ही रूप है, इसे हासिल करना मुश्किल है, और अक्सर बिल्कुल उचित नहीं होता है। बच्चे और परिवार को बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल से सशक्त किया जाना चाहिए।

प्रश्न ix

क्या POCSO को सही ढंग से लागू किया जा रहा है?

व्यापक अनुमान लगाना और एक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। यह उस पर निर्भर करता है कि पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित हितधारकों में इन कानूनों के बारे में कितनी जागरूकता है।

हमने मुंबई में देखा है, कि कुछ मामलों/स्थितियों में इसे लागू किया जा रहा है और लोगों को इसकी जानकारी है; लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य भागों में, इसका ज्ञान कम है और इस कानून का क्रियान्वयन उतना सहज नहीं है।

तो इस कानून को लागू करने का समर्थन करने के लिए कम से कम यह किया जा सकता है कि पुलिस कर्मियों और जनता को इसके बारे में

जागरूक किया जाए।

7

प्रौद्योगिकी और बाल लैंगिक शोषण

प्रश्न i

हमें प्रौद्योगिकी के बारे में पता करने की क्या ज़रूरत है और बच्चों को लैंगिक क्षति पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। आज के समय में, ऑनलाइन रहना कई बच्चों के जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन समय समय पर प्रौद्योगिकी के बदलते रहने और हर दिन नए एप्प्स, खेल और नेटवर्क के लोकप्रिय होने के साथ माता-पिता / देखभाल करने वालों के रूप में उनके साथ-साथ चलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हमारी तुलना में बच्चे अधिक जानते हों और बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यह एक चुनौती लग सकती है। हालांकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एडवान्सेस नए अनुभवों का खज़ाना उपलब्ध कराते हैं, हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि उनका अनुचित उपयोग किया जा सकता है। कुछ अनुचित उपयोग हमारे बच्चों को लैंगिक क्षति पहुंचा सकता है। यह किया जा सकता है:

1) इंटरनेट पर वस्त्रहीन, लैंगिक स्थितियों में और / या लैंगिक शोषण किए जा रहे बच्चों की फ़ोटो और वीडियो देखना, खींचना और / या वितरण करना- इसे बाल अश्लील साहित्य या बाल लैंगिक शोषण चित्रण कहा जाता है।

2) इंटरनेट का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ तस्वीरें साझा करना। कुछ लोग दूसरों को अपमानजनक तस्वीरें भेजते हैं जो बच्चों में लैंगिक रुचि रखते हैं ।

3) कोई व्यक्ति बच्चों और युवा लोगों को तस्वीरें दिखा जा सकता है और इस गतिविधि को 'सामान्य बनाना' चाह सकता है ।

हालांकि, हर कोई जिसने बच्चे के शोषण की तस्वीरें देखी हैं उनको दूसरों को वितरित नहीं करता या सीधे बच्चों का लैंगिक शोषण नहीं करता। वास्तव में, ज़्यादातर नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे के अश्लील साहित्य पर निर्भर होने वाले व्यक्ति की स्वस्थ वयस्क रिश्तों को बनाए रखने की क्षमता में कमी आ सकती है और बच्चे के साथ लैंगिक संपर्क की तलाश करने के लिए उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं।

बच्चों को लैंगिक क्षति पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने के अन्य तरीके हो सकते हैं:

1) 'असली दुनिया' में बच्चों का लैंगिक शोषण करने के लिए उनसे मिलने की व्यवस्था करने के इरादे से उनके साथ ऑनलाइन संचार करना और 'दोस्ती' करना। इसे ऑनलाइन ग्रूमिंग कहा जाता है। इस तरह के व्यवहार को शुरू करने के लिए चैटरूम्स सामाजिक नेटवर्किंग साइट आम जगह हैं। बच्चों को व्यक्तिगत जानकारी देने, निजी चैट रूम में जाने के लिए या वेब कैमरे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2) बच्चों को लैंगिक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित और मज़बूर करना। इसे कभी कभी साइबरसेक्स के रूप में जाना जाता है।

3) टेक्स्ट, ईमेल, MSN या सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से स्पष्ट रूप से लैंगिक संबंधी तस्वीरें भेजना। इसे सेक्सटिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अपने निजी अंग दिखाते हुए या वस्त्रहीन अवस्था में किसी युवा व्यक्ति की तस्वीर।

बच्चे और युवा लोग अपने आप को ख़तरे में डाल सकते है और खुद को शोषण के लिए असुरक्षित बना सकते हैं क्योंकि:

1) इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के माध्यम बातचीत करते समय, युवा कम सावधान हो जाते हैं और किसी से चीज़ों के बारे में बात करते समय आमने-सामने बात करने की तुलना में कहीं अधिक खुले तौर पर बात करते हैं।

2) युवा हमेशा 'इंटरनेट पर सुरक्षित रहें' सलाह का पालन नहीं करते हैं। उनकी उम्र और विकास की प्रकृति के कारण वे उत्साही होते हैं और जोख़िम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उपयोगकर्ता, अक्सर ऑनलाइन बातचीत में अन्य लोगों से कही गई अपनी बहुत सी बातों के बारे में भयभीत या शर्मिंदा होते हैं और नहीं चाहते कि उनके माता पिता, देखभाल करने वाले, उनके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण वयस्क या यहां तक कि उनके दोस्तों को भी इसका पता लगे। इसके अलावा, अगर वे ऑनलाइन ग्रूमिंग या बाल कामोद्दीपक चित्रों का शिकार हुए हैं तो अक्सर वे शर्मिंदा और जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार और दोषी महसूस करते हैं जिससे इसके बारे में किसी को बताना बहुत कठिन हो जाता है।

यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को स्पष्ट संदेश दें कि यह बताना ठीक है, चाहे उन्हें यह लगता हो कि उन्होंने कुछ ग़लत किया है।

यह महत्वपूर्ण है कि सभी वयस्क, ऑनलाइन बातचीत से बच्चों और युवा को संभावित ख़तरों के बारे में पता रहे और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए सक्षम हों। इसका मतलब है यह जानना कि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है और बच्चों को क्या कमज़ोर बनाता है।

प्रश्न ii

बच्चों की ऑनलाइन ग्रूमिंग कैसे अलग है?

कई स्थितियों में, ऑनलाइन ग्रूमिंग अधिक तेज़ी से और अनाम हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप उन लोगों की तुलना में जिनसे वह आमने-सामने बातचीत करते हैं, बच्चे अपने ऑनलाइन 'दोस्त' पर अधिक तेज़क्ष से भरोसा करने लगते हैं। जो लोग बच्चों को लैंगिक क्षति पहुंचाने की योजना बना रहे हैं वो अपने स्वयं असली पहचान, उम्र और लिंग छुपाते हुए उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बच्चों की ऑनलाइन ग्रूमिंग करते हैं वो बच्चे के लिए समय या पहुंच से उतना प्रतिबंधित नहीं होते हैं जितना 'असली दुनिया' में होते।

प्रश्न iii

हम ऑनलाइन हो रही समस्याओं का कैसे पता कर सकते हैं?

हमें यह पहचानने में मदद करने के लिए कि क्या बच्चे ऑनलाइन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये कुछ संकेतक हो सकते हैं। जब बच्चा:

1) इंटरनेट पर अधिक समय बिताए विशेष रूप से किसी नए ऑनलाइन दोस्त से चुपके-चुपके बात करे;
2) अधिक गोपनीय बने - विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग के आस-पास;
3) दरवाज़ा बंद करे और जब कोई कमरे में प्रवेश करे तो जो वो स्क्रीन पर कर रहा हो उसे छुपाए
4) अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में खुलकर बात न कर पाए
5) अपने मोबाइल का जवाब देते समय उत्तेजित व्यवहार करे और फ़ोनकॉल को अकेले में लेने की ज़रूरत लगे।
6) बिना किसी स्पष्टीकरण के कि वो कहां जा रहा है, बच्चा, परिवार के घर से निकलने का एक पैटर्न का विकास करे।
7) किसी नए दोस्त के बारे में अस्पष्ट बात करे लेकिन आगे कोई जानकारी न दे।

ऊपर उल्लेखित संकेत और लक्षण आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं देते हैं कि ऑनलाइन लैंगिक शोषण हुआ है। वे सिर्फ संकेतक हैं। ये संकेत और लक्षण, उन अन्य चुनौतियों के लिए प्रदर्शित हो सकते हैं जिनका सामना बच्चा कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों।

प्रश्न iv

हम अपने बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

बच्चे और युवा कम उम्र से घर में और स्कूल में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों के लिए, यह कैसे काम करता है इसका ज्ञान और समझ अपने माता पिता और देखभाल करने वालों की तुलना में अधिक हो सकता है। इससे कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर कैसे नजर रखें।

जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो हम उनकी गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे किशोरावस्था (यौवन) में प्रवेश करते हैं उनकी गोपनीयता और आज़ादी की जरूरत के साथ, उन पर नियंत्रण कम हो जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो बच्चों को अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के साथ साथ उन जोख़िमों को न्यूनतम करना जिनकी हमें चिंता है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रौद्योगिकी के बारे में पर्याप्त समझ रखें ताकि हम अपने बच्चों को नुकसान से सुरक्षित रखें और वे इसका उपयोग सकारात्मक रूप में और ज़िम्मेदारी से करें। बच्चों को सशक्त किए जाने की ज़रूरत है ताकि वे ऑनलाइन खतरों से अवगत हों और असुरक्षित बातचीत की पहचान कर सकें। उदाहरण के लिए, बच्चों के साथ खुलकर संचार करना और उन्हें एक सुरक्षित इंटरनेट उपयोग चेकलिस्ट का विकास करने में मदद करना और उन्हें इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

8

विकलांगता के साथ रहने वाले बच्चे

प्रश्न i

विकलांगता के साथ बच्चे के लिए बाल लैंगिक शोषण के जोख़िम क्या हैं?

गैर विकलांग बच्चों की तुलना में विकलांगता के साथ बच्चों का लैंगिक शोषण किए जाने की संभावना तीन गुना अधिक है, हिंसा और चोट की रोकथाम और विकलांगता का विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) विभाग, 2012 द्वारा की गई एक समीक्षा के अनुसार।

इस बढ़े हुए जोख़िम में योगदान देने वाला सबसे बड़े कारकों में से एक वयस्कों की सामान्य रूप से बच्चों और उससे अधिक विकलांगता के साथ रहने वाले बच्चों को सेक्स शिक्षा देने के लिए अनिच्छा है। बच्चों को लैंगिक शोषण के लिए उच्च जोख़िम में रखने के लिए अतिरिक्त कारकों में दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए सहायता की ज़रूरत शामिल है जैसे स्वच्छता में मदद, खुद को और अपनी देखभाल करने वालों के लिए सामाजिक समर्थन की कमी, बच्चों के लैंगिक व्यवहार के बारे में ग़लतफहमी, और समग्र कलंक और भेदभाव।

विशेष रूप से, बौद्धिक और विकास संबंधी विकलांग बच्चे भी अधिक आघातयोग्य हो सकते हैं क्योंकि इस विकलांगता से सामाजिक कौशल, निर्णय लेने का कौशल और समग्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। व्यक्ति (व्यक्तिगत) देखभाल स्थितियों, संचार बाधाओं और मनोवैज्ञानिक लैंगिक विकास के बारे में जानकारी की कमी के कारण संस्थानों में रह रहे विकलांग बच्चे में भी दुर्व्यवहार का जोख़िम बढ़ जाता है। सभी सेटिंग्स में, संचार बाधाएं, बच्चे की सीधे खुलासा और / या मदद मांगने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

प्रश्न ii

एक बच्चा जो विकलांग है उसे व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के बारे में सिखाने की ज़रूरत है?

विकास के स्तर के बावजूद, स्वस्थ संबंधों के विकास के बारे में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें सेक्स शिक्षा और निजी सुरक्षा शिक्षा भी शामिल है।

यह लैंगिक शोषण के उनके जोख़िम को कम कर सकता है। एक विकासात्मक उचित तरीके से इन अवधारणाओं का शिक्षण बच्चे को आत्म सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने और लैंगिक प्रकृति के व्यवहार सहित, उन व्यवहारों में उलझाने की संभावना को कम करने में मदद करेगा जो संभवतः दूसरों के लिए हानिकारक या आक्रामक है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अधिकतर विकलांग बच्चे स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं- तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को अनुचित व्यवहार रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

प्रश्न iii

सीमित अर्थपूर्ण संचार वाले बच्चे को निजी सुरक्षा शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है?

विकलांगता के साथ रहने वाले बच्चे, संचार के लिए भाषा के विभिन्न स्तरों का उपयोग करते हैं। इसमें बोलना, इशारे और संचार के विकल्प या आगम रूप (ध्वनि उपकरण, टाइपिंग, इशारे, चित्र, आदि) भी शामिल है। शरीर के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए बच्चों को संचार तरीकों के संयोजन के साथ-साथ इशारे सिखाए जा सकते हैं। सीमित अर्थपूर्ण संचार वाले बच्चों के लिए ये रणनीतियां सहायक हो सकती हैं।

बच्चे के माता-पिता और शिक्षक को खुद के लिए और बच्चे के साथ, शौच और बच्चे के दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक मदद के उचित स्तर के बारे में बुनियादी सुरक्षा नियमों की समीक्षा करनी चाहिए। अगर शरीर के अंगों के लिए शब्दों और इशारों और साथ ही किस स्तर की मदद की ज़रूरत है, की समीक्षा की जाए तो संभव है कि संज्ञानात्मक विकलांगता के साथ, सीमित अर्थपूर्ण संचार वाला बच्चा, एक अनुचित स्पर्श के होने पर संकेत कर सकता है या «बता» सकता है। बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा योजना में कम से कम एक सुरक्षा लक्ष्य होना चाहिए।

9

बाल लैंगिक शोषण के साथ कार्य करना: जागरूकता पैदा करना और रोकथाम की दिशा में कार्य करना

प्रश्न i

यह देखते हुए कि बाल लैंगिक शोषण के बारे में बात करने में चारों ओर परेशानी है तो आप जागरूकता लाने के लिए क्या करेगें?

शिक्षा कुंजी है और यह विकासात्मक रूप से किया जाना चाहिए, छोटे चरणों में। बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के बीच आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल को संवेदनशील, समर्थित और विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उन्हें बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा और समर्थन जाल बनाने में मदद मिले। इन हितधारकों को इसलिए संबोधित किया गया है ताकि उन्हें समझ में आ सके कि बच्चों को सुरक्षित रखने में प्रत्येक व्यक्ति को एक भूमिका निभानी होती है। उदाहरण के लिए, माता-पिता को बताया जाता है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कैसे वे, शरीर के निजी अंगों और सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के मुद्दों

पर बच्चों के साथ संचार के चैनलों को खोलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरल कदम, जैसे बच्चे के शरीर के अन्य भागों जैसे हाथ, पैर और चेहरे का परिचय कराते समय उनके शरीर के निजी अंगों के नामों की शिक्षा देना, शरीर के निजी अंगों के प्रति तथ्यात्मक दृष्टिकोण का विकास करने और बच्चों के लैंगिक शोषण होने के मामलों में वे उसके बारे में आसानी और सहजता से बात कर सकेंगे।

इसी तरह, बच्चों को स्पर्श नियम और सुरक्षा कदम सिखाएं:

किसी को आपके शरीर के निजी अंगों को छूने, देखने, या उसके बारे में बात करना कभी भी ठीक नहीं है सिवाय इसके कि वह आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हो। किसी का आप से उनके शरीर के निजी अंगों को छूने, देखना या बात करने के लिए कहना कभी भी ठीक नहीं है। किसी के स्पर्श नियम तोड़े जाने के मामले में, 3 सुरक्षा कदम हैं, 'नहीं' कहें, भागो, और किसी से, जिस पर आप भरोसा करते हैं उनसे ज़रूरी मदद लाने के लिए कहें।

इन सरल, आयु उपयुक्त नियमों के आधार पर इन मामलों में बातचीत करके, और यदि बच्चे बताते हैं कि उन्हें छूए जाने की समस्या है तो माता-पिता को क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसके बारे में शिक्षण दे कर अर्पण जागरूकता और अंततः परिवर्तन लाना चाहता है।

प्रश्न ii

आंकड़ों में वृद्धि के बावजूद, बाल लैंगिक शोषण की रोकथाम के कार्यक्रमों की आउटरीच काफी सीमित क्यों है?

ये कार्यक्रम अपने आउटरीच में सीमित इसलिए हैं क्योंकि इस दिशा में काम कर रहे संगठन और संसाधन सीमित हैं। साथ ही साथ, बाल लैंगिक शोषण के मुद्दे पर संवेदनशीलता और जागरूकता की कमी और इसके चारों ओर चुप्पी को देखते हुए स्कूल, व्यक्तिगत सुरक्षा कौशल से संबंधित «जीवन कौशल» मॉड्यूल को खुलकर नहीं अपनाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है कि सभी माता पिता इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर के निजी अंगों और निजी सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी देने से बच्चों की मासूमियत चली जाएगी। अन्य माता पिता सोचते हैं कि इस मुद्दे के बारे में केवल माता-पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर माता पिता, कामुकता और सेक्स और कामुकता के आसपास सुरक्षा के बारे में अपने बच्चों के साथ बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं या कैसे बातचीत करें इसके बारे में उन्हें पता नहीं है।

<u>नोट:</u> व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा पर अनुभाग देखें। आप और अधिक जानकारी अर्पण की व्यक्तिगत सुरक्षा वर्कबुक और मेरी छोटी सी शरीर बुक में प्राप्त कर सकते हैं। कृपया वेबसाइट www.arpan.org.in और दस्तावेज़ के अंत में उल्लेखित अन्य संसाधनों पर जाएं।

10

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के बारे में जानकारी

प्रश्न i

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा क्या है? इसे कौन प्रदान कर सकता है?

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा, बच्चों को यह सिखाने पर केंद्रित है कि वे खास हैं और उनके पास एक अद्भुत शरीर है। व्यक्तिगत सुरक्षा जानकारी देती है कि बच्चों को सुरक्षित होने और महसूस करने की जरूरत है (जैसे हमारे शरीर के निजी अंगों को जानना और असली मदद किससे मिलेगी यह जानना), उस जानकारी को संभालने के लिए कौशल (जैसे मुखरता), और अंत में जानकारी के आधार पर कौशल का अभ्यास करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने के लिए आत्म सम्मान का निर्माण करना। हम सबको सुरक्षित और संरक्षित रहने का अधिकार है। सरल रूप में, व्यक्तिगत सुरक्षा का निर्माण स्पर्श नियम और नियम का पालन करने के लिए सुरक्षा कदमों पर किया गया है।

किसी का आपके शरीर के निजी अंगों को छूना, देखना, या उसके बारे में बात करना कभी भी ठीक नहीं है सिवाय इसके कि वह आपको स्वच्छ

और स्वस्थ रखने के लिए हो। किसी का आप से उनके शरीर के निजी अंगों को छूने, देखने या बात करने के लिए कहना कभी भी ठीक नहीं है। किसी के स्पर्श नियम तोड़े जाने के मामले में, 3 सुरक्षा कदम हैं, 'नहीं' कहें, भागो, और किसी से, जिस पर आप भरोसा करते हैं, ज़रूरी मदद लाने के लिए कहें।

एक अभिभावक के रूप में, अपने बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा में आपका हिस्सा, अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक रहना, अपने बच्चों को कैसे सुनें, और अगर बच्चे कभी असुरक्षित महसूस करें तो कैसे जवाब दें, यह जानना है।

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा, बच्चों को सुरक्षित रखने के बारे में उनके मूल्यों, दृष्टिकोण और अधिकारों के बारे में सदैव चालू रहने वाली बातचीत है। बच्चों के माता-पिता / देखभाल करने वाले उनके सबसे अच्छे शिक्षक और साथी हैं और बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल हैं। हालांकि, यह देखते हुए कि सभी माता-पिता इस मुद्दे पर संदेश देने में सहज नहीं होते और शिक्षकों की बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुँच होती है, स्कूल भी व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा दे सकता है। अर्पण स्कूलों में व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है और उनके «जीवन कौशल» कार्यक्रम में मॉड्यूल को शामिल करने के लिए शिक्षकों / सलाहकारों को भी प्रशिक्षित करता है।

प्रश्न ii

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा क्या है? इसे कौन प्रदान कर सकता है?

हम सब अपने नज़रिए और समझने की क्षमता के आधार पर सीखते हैं जो बहुत कुछ हमारी उम्र पर निर्भर करता है। नीचे हम आप के लिए बच्चों के सामान्य मनोवैज्ञानिक लैंगिक विकास के मापदंड की रूपरेखा दे रहे हैं।

क) जन्म से 2 वर्ष तक: बच्चे कम उम्र से ही अपने शरीर के बारे में उत्सुक होते हैं। तीन से पांच महीने तक के शिशु भी अपने निजी अंगों को छूना शुरू कर देते हैं। ये सामान्य और प्राकृतिक है क्योंकि इन स्पर्शों से बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे इससे, वयस्कों के समान, अनुभूति और लैंगिक सुख प्राप्त नहीं करते। हालांकि, यदि बच्चा पूरी तरह से शरीर के निजी अंगों को छूने में व्यस्त रहता है और यह अन्य गतिविधियों के साथ संतुलित नहीं है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। लगभग 2 साल की उम्र में, बच्चों में पुरुष और महिला होने के लिंग की पहचान का विकास होना शुरू हो जाता है। यह समझ शरीर के निजी अंगों में मतभेद की पहचान के साथ शुरू होती है लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं यह इससे अधिक होता जाता है।

ख) 2-5 वर्ष की उम्र: इस स्तर पर बच्चे एक दूसरे के शरीर के प्रति उत्सुक हो जाते हैं। अपने शरीर के साथ उनकी खोज भी जारी रहती है और बच्चे वस्त्रहीन रहना पसंद कर सकते हैं। इस उम्र में बच्चों में थोड़ा संकोच होता है। ये मनोवैज्ञानिक लैंगिक विकास से संबंधित सामान्य व्यवहार हैं। इसके साथ बच्चे समझते नहीं हैं, अन्य बच्चों को छूते हैं या अपनी उम्र से परे लैंगिक ज्ञान/ व्यवहार करते हैं। माता-पिता/ देखभाल करने वाले बच्चों से विस्मय, क्रोध या शर्म/ शर्मिंदगी के बिना जवाब दें।

ग) 6-10 वर्ष की उम्र: इन वर्षों में बच्चे जैविक और सामाजिक दोनों रूप से लड़का और लड़की होने की अपनी समझ को बढ़ाते हैं। बच्चों में अपने शरीर के प्रति संकोच और शर्म का विकास होता है, वे वस्त्रहीन नहीं घूमते हैं या छुपकर नहाते हैं। उनके इस स्तर के अंत तक, लड़कों और लड़कियों दोनों में पूर्व लैंमिग विकास के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि बच्चों को इस मामले में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है तो बच्चे शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं/ जैविक परिवर्तन को नहीं संभाल पाते और कई अक्सर विरोधाभासी संदेशों से उलझन महसूस करते हैं जो उन्हें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इस स्तर पर बच्चों में शरीर के निजी अंगों की समझ विकसित होती है और सार्वजनिक रूप से वे उचित व्यवहार

करने लगते हैं। कुछ बच्चों में, 8 या 9 साल की उम्र में यौवन आ जाता है।

घ) 11-18 वर्ष की उम्र: आमतौर पर इस उम्र में बच्चों के यौवन और मनोवैज्ञानिक लैंगिक का पूर्ण विकास हो जाता है। यौवन बचपन और वयस्कता के बीच का समय है जब लड़कियां और लड़के शारीरिक और लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। यह वह स्तर है जब एक लड़की एक औरत बनती है और एक लड़का एक आदमी बनता है। जब एक लड़का या लड़की का शरीर तैयार होता है तो यौवन शुरू होता है और हर कोई अपनी गति से बढ़ता है। आमतौर पर, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यौवन जल्दी शुरू होता है। लड़कियों में यौवन की औसत उम्र 12 साल है। हालांकि यह 8-16 साल के बीच कभी भी शुरू हो सकती है। लड़कों में यौवन की शुरुआत 9 और 14 वर्ष के बीच होती है। यौवन को परिवर्तन से जाना जाता है क्योंकि लड़कों में चेहरे के बाल, शरीर के बाल जैसी द्वितीयक लैंगक विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं वहीं लड़कियों में स्तनों का आकार बढ़ता है और दोनों के जघन बालों में बढ़ोतरी होती है। इस स्तर पर ही लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है और लड़के आवाज़ में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। लड़कों में रात्रि उत्सर्जन, सामान्यतः स्वप्नदोष होने की संभावना भी होती है। जैसा कि पहले बताया गया कि पर्याप्त जानकारी और समझ न होने पर, यह बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे शारीरिक परिवर्तनों को समझ नहीं पाते और शर्मिंदा होते हैं। माता-पिता/देखभाल करने वाले यदि बचपन से इस संबंध में उचित बातचीत नहीं करते हैं तो यह उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे मामलों (Cases) में, माता-पिता अपने बच्चों के सवालों, आशंकाओं और भ्रम के लिए व्यावसायिकों से मदद ले सकते हैं।

प्रश्न iii

माता-पिता क्या कर सकते हैं?

क) 18 महीने - 3 साल: बच्चों को शरीर के सभी निजी अंगों के उचित नाम बताए (जैसे लड़कों के लिए लिंग, अंडकोष, कूल्हे और गुदा, लड़कियों के लिए योनि, छाती, नितंब, गुदा) जबकि आप हाथ, पैर जैसे शरीर के अंगों के बारे में बताते हैं।

ख) 3-5 साल: अपने बच्चे को सिखाएं कि जांघिया/बिकनी से ढके शरीर के भाग उनके निजी अंग होते हैं। बच्चों को उनके निजी अंगों को सुरक्षित रखने के नियमों के बारे में सिखाएं।

नियम 1: सिवाय उन्हें साफ़ व स्वस्थ रखने के, किसी के द्वारा मेरे शरीर के निजी अंगों को छूना, देखना या बात करना ठीक नहीं है। इसके अलावा, किसी को मेरे शरीर के निजी अंगों को छूने, देखने या उनके बारे में बात करने के लिए पूछना भी ग़लत है।

नियम 2: यदि कोई इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है, तो मैं "नहीं" कह सकता हूं और भाग/दूर जा सकता हूं। यह नियम बच्चों में उनकी भावना के प्रति जागरूकता का निर्माण करने में मदद करेगा और भावनाओं के माध्यम से उन्हें सुरक्षित और असुरक्षित स्थिति की पहचान करने में मदद मिलेगी। बच्चे के चारों ओर एक सहयोग प्रणाली का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है ताकि बच्चा एक वयस्क तक पहुंच सके और मदद प्राप्त कर सके।

नियम 3: किसी को बताना और कहना जब तक मुझे ज़रूरत अनुसार मदद मिले।

ग) 5-8 साल की उम्र: व्यक्तिगत सुरक्षा पर बातचीत जारी रखें जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। घर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित और असुरक्षित स्थितियों के उदाहरण दें। एक विशेष स्थिति और उचित कार्रवाई करने को समझाने के लिए बच्चों के साथ 'क्या करें यदि' खेल खेलें। (उदाहरण के लिए, क्या करें, अगर मिठाई बेचने वाला एक आदमी आपको अपने

साथ कहीं ले जाना चाहता है और इसे गुप्त रखता है, आपको क्या करना चाहिए?) बच्चों को समझाएं कि एक परिचित व्यक्ति भी असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकता है। घर से दूर शिक्षकों और अन्य देखभाल करने वाले लोगों को उनकी सहयोग प्रणाली में शामिल करें।

घ) 8-12 साल: व्यक्तिगत सुरक्षा का संदेश दोहराएं। ''नियमों'' के बजाय व्यक्तिगत सुरक्षा ''दिशा-निर्देशों'' के बारे में बातचीत करें। ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' पर उपदेश देनेके बजाय बच्चों के साथ ढंग से बात करें। उनके संदर्भ से संबंधित उदाहरण और स्थितियां पैदा करें। सहयोगी के छूने, बदमाशी और स्व-शोषण की उनकी चिंताओं को समझें।

ङ) 12-18 साल: बातचीत और संचार बढ़ाएं जिसमें आप व्यक्तिगत सीमाओं, लैंगिक शोषण और सुरक्षा के बारे में उनके सवालों आशंकाओं का जवाब दे सकते हैं। बच्चे को भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन के लिए तैयार करें ताकि बच्चा यौवन को समझ सके। बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करें। बच्चे को साथी का दबाव हैंडल करने और अपनी पहचान खोजने में सहयोग करें। बच्चों को बताने की बजाय उनकी बात सुनें।

प्रश्न iv

शरीर के निजी अंगों के नामों के बारे में बताना क्यों महत्वपूर्ण है?

हम अक्सर बच्चों को शरीर के निजी अंगों के चिकित्सीय नाम नहीं बताते। शरीर के निजी अंगों को लेबल करने के लिए अलग-अलग नामों का उपयोग करना परिवारों में आम है। अक्सर परिवार हमारे शरीर के इन भागों के बारे में बात करने पर भी बच्चों को सज़ा देते हैं। इसके कई संभव नकारात्मक प्रभाव होते हैं: 1) यह हमारे शरीर के निजी अंगों के बारे में शर्म की भावना पैदा करता है, 2) यह शरीर के निजी अंगों के संबंध में किसी समस्या पर मदद लेने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करता है और 3) यह समस्या के प्रति माता-पिता की समझ में अवरोध उत्पन्न करता है क्योंकि बच्चे बातचीत नहीं कर सकते कि क्या हुआ।

उदाहरण के लिए, एक मां अपनी बेटी को सिखाती है कि कोई उसके "फूल" को कभी न छुए। बेटी और मां दोनों को पता है कि फूल उसके शरीर के निजी अंगों को दर्शाता है। लेकिन एक दिन, जब मां बहुत व्यस्त है जैसे कि मां अक्सर होती हैं, बेटी भागी आती है और बताती है कि किसी ने उसके फूल को नुकसान पहुंचाया है। व्यस्त मां केवल फूल शब्द सुनती है, और इसलिए बेटी से कहती है जाओ और दूसरा ले आओ। अगर बेटी योनि या सिर्फ शरीर के निजी अंगों का इस्तेमाल करती, तो मां संभावना है कि वह अपना काम छोड़कर बेटी की बात सुनती और उसकी मदद करती।

प्रश्न v

CBSE/ICSE पाठ्यक्रम में विज्ञान के पाठों में व्यापक और विस्तृत तरीके से शरीर के निजी अंगों के बारे में बात की गई है। तो फिर हमें क्यों अपने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा PSE कार्यक्रम के बारे में बताने की ज़रूरत है?

विज्ञान पाठों में केवल जैविक जानकारी दी गई है और यह केवल उच्च ग्रेड में बच्चों को पढ़ाया जाता है। PSE कार्यक्रम, कौशल सिखाता है, स्वयं की रक्षा के लिए आवश्यक आत्म सम्मान को बढ़ाता है और सहयोग प्रणाली विकसित करता है। PSE तीन साल की उम्र से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और विज्ञान के जटिलतओं को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जिसे स्कूल में बड़े विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। पीएसई कार्यक्रम एक ''जीवन कौशल'' मॉड्यूल है जो बच्चों को न केवल आयु अनुकूल पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है, बल्कि अपने शरीर के

प्रति सहानुभूति, स्व-महत्व और स्वामित्व की भावना भी जागृत करता है। महत्वपूर्ण रूप से, PSE मॉड्यूल में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के संरक्षक भी शामिल होते हैं। PSE पाठों के दौरान बच्चों को कार्य दिया जाता है जिससे माता-पिता को इसका हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्य इस तरह से दिए जाते हैं कि वे बच्चों के प्रश्नों, आशंकाओं, भ्रम और विचारों का उत्तर दें और आवश्यकता पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। बच्चों और अभिभावकों के बीच बातचीत की यह प्रक्रिया समस्याओं के बारे में बच्चों को अभिभावक से सहजसाधन प्रदान करती है ।

प्रश्न vi

जब बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बताया जाता है तो क्या वे सुरक्षित स्पर्श का भी विरोध करेंगे?

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा सुरक्षित स्पर्श के साथ-साथ असुरक्षित स्पर्श के भी बहुत से उदाहरण देती है ताकि वे दोनों के बीच अंतर कर सकें। इसके अलावा वह इस पर भी ज़ोर देती है कि सुरक्षित रूप से छूना सही होता है और न केवल बच्चे चाहते हैं बल्कि आवश्यकता भी होती है। स्पर्श के बारे में बच्चों को सिखाने से नई सीखे शब्दों का प्रयोग करने और कुछ स्थितियों को समझने में मदद मिलती है। लेकिन माता-पिता/देखभाल करने वालों को बच्चों के साथ धैर्य रखना चाहिए और उनके साथ बातचीत में शामिल होने के अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। समय के साथ यह चिंता कम होगी। व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम के शिक्षक/प्रशिक्षकों को भी इन बच्चों से बात करनी चाहिए और बताएं कि उन्हें सभी प्रकार के छूने से डरने की जरूरत नहीं है और विश्वास दिलाएं कि आवश्यकता पड़ने पर वे आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त हैं।

प्रश्न vii

किस प्रकार बच्चे व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कक्षाओं में दी गई विभिन्न स्तरों की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं?

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से एक व्याख्यान आधारित मॉड्यूल नहीं है। प्रत्येक मॉड्यूल उम्र के अनुसार है और विभिन्न विकासीय स्तरों के लिए बनाया गया है। व्यक्तिगत सुरक्षा पाठों में गीत, कठपुतली शो, भूमिका निभाने और कार्यपत्रकों जैसे विभिन्न गतिविधियों का उपयोग होता है। यह मॉड्यूल इंटरैक्टिव बनाता है और बच्चों को दी गई जानकारी की प्रक्रिया और कौशलों का प्रयोग करने के अवसर देता है।

पाठ पूरे हो जाने के बाद, अर्पण परियोजना का एक महत्वपूर्ण तत्व एक-एक कर बच्चों के संदेह, भ्रम की स्थिति स्पष्ट करने के लिए उनके साथ शिक्षकों का मिलना है और महत्वपूर्ण संदेश को दोहराना है। होमवर्क शीट के मूल्यांकन के साथ-साथ ये बातचीत बच्चों की समझ के स्तर तक पहुंचने में प्रशिक्षकों की मदद करती है। प्रशिक्षक बच्चों को स्कूल/बाहरी परमर्शाताओं(Counsellors) की विशेष आवश्यकता की सलाह दे सकता है। संदेश को बनाए रखने के लिए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि स्कूल हर साल पीएसई मॉड्यूल पढाएं और माता-पिता भी नियमित अंतराल पर बच्चों के साथ इस संदेश को दोहराएं।

प्रश्न viii

विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को कैसे हम व्यक्तिगत सुरक्षा सिखाते हैं?

''विशेष'' या ''निःशक्त'' या ''विकलांग'' या ''चुनौतीपूर्ण'' कई अलग-अलग रूप हैं। प्रत्येक

समूह की अपनी अद्‌वितीय ज़रूरतें और कमज़ोरियां हैं। सामान्य तौर पर, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे अधिक लैंगिक शोषण का शिकार बनते हैं, क्योंकि उन्हें वयस्कों (जो संभावित अपराधी हो सकते हैं) के द्‌वारा अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। सभी बच्चों को स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए समान जानकारी की ज़रूरत है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, सामग्री के कुछ पहलुओं और साधनों की ज़रूरत होती है जिसमें उनकी विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर अलग जानकारी प्रदान की जाए।

बच्चों को सशक्त बनाने के साथ-साथ, माता-पिता और देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निःशक्त बच्चे कुछ स्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में असक्षम हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सहयोग को मज़बूत और विस्तार करना व और बच्चों व उनकी देखभाल करने वालों के बीच संचार में सुधार करना है।

उदाहरण के लिए, सुनने में असमर्थ बच्चों के मामले में, शारीरिक संपर्क के माध्यम से संवाद करने की ज़रूरत कभी कभी उन्हें अधिक जोख़िम में डाल सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा पढ़ाते समय, हम दृश्य साधनों के माध्यम से अपना संदेश उन्हें देते हैं और विशिष्ट स्थितियों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें अधिक/अलग तरह से असुरक्षित बनाती हैं। इसी तरह, व्हीलचेयर पर घूमने वाले बच्चों के लिए, मदद प्राप्त करने के भिन्न तरीकों पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमेशा शारीरिक रूप से असुरक्षित स्थिति से दूर जा पाना उनके लिए संभव नहीं हो सकता है। निःशक्त बच्चों को यह बताना महत्वपूर्ण है कि उनका शरीर कितना अद्भुत अद्‌वितीय और विशेष है क्योंकि समाज अक्सर उन्हें अन्यथा लेता है! कृपया 'विकलांगता के साथ जीने वाले बच्चों' का भाग देखें।

प्रश्न ix

बच्चे अपनी रहन-सहन की स्थिति की वजह से आमतौर पर वयस्कों के बीच लैंगिक क्रिया को देखते हैं अथवा लैंगिक व्यवहार प्रकट करने वाले स्थिति और संदेशों को देखते हैं। उनसे व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बात करना कितना व्यावहारिक है?

बच्चे को अपना वातावरण समझने की ज़रूरत है। तनाव और संभव अनुचित लैंगिक व्यवहार पैदा होना समझ की कमी का नतीजा है। इसलिए, व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा की शुरुआत से पहले, प्रशिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि और उनका वास्तविक रहन-सहन को सावधानीपूर्वक समझने की ज़रूरत है। यह बच्चे के संदर्भ को समझने और उचित व अनुचित व्यवहार में उचित संदेश देने में हमारी मदद करता है। इस संदर्भ में माता-पिता/देखभाल करने वालों और बच्चों के साथ स्थिति का पता लगाना महत्वपूर्ण है ताकि माता-पिता गोपनीयता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकें, बच्चों को भी यह समझाना चाहिए कि वयस्कों के लिए अन्य वयस्कों के साथ विशेष तरीके से (लैंगिक संबंध) अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सामान्य है। लैंगिक व्यवहार का निरीक्षण करने वाले बच्चे अक्सर भ्रमित होते हैं और जो देखते हैं उसके अनुसार लैंगिक क्रिया करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा बच्चों को वे क्या देखते हैं, के लिए आयु अनुकूल संदर्भ प्रदान करती है, बेहतर तरीके से उनके सवालों का जबाव देने के अवसर देती है और उम्र के अनुसार व्यवहार प्रदान करती है। यह माता-पिता को एक संभावित शर्मनाक स्थिति में सहयोग करती है।

प्रश्न X

क्या बच्चे व्यक्तिगत सुरक्षा कक्षाओं में प्राप्त जानकारी और सीखे गए कौशलों को वास्तविक जीवन में असुरक्षित परिस्थिति का सामना करने पर प्रयोग करने में सक्षम होंगे?

हां। हमारे अनुभव के अनुसार, बच्चों ने बताया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कक्षाओं के बाद शोषण होने पर वे दृढ़ता के साथ 'नहीं कहने, स्थिति से दूर जाने और विश्वसनीय वयस्कों से मदद लेने में सक्षम हो पाए हैं। अन्य देशों के शोध पर सहयोग जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा सीखने वाले बच्चे अपराध करने से बचते हैं और किसी भी रूप में सहायता लेने वालों बच्चों की संख्या बढ़ती है। इस सवाल पर भारत में अभी भी शोध हो रहे हैं, लेकिन हम आश्वस्त लग रहे हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा एक जीवन कौशल मॉड्यूल है। जीवन कौशल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मांगों और चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार में बच्चों को सशक्त बनाता है। लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वयस्कों से बच्चों तक को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

जीवन कौशल मॉड्यूल के रूप में, PSE बच्चों को निर्णय लेने, गहराई और रचनात्मक सोच, प्रभावी ढंग से संचार और सुरक्षित व स्वस्थ संबंधों और व्यवहार की पहचान करने में सशक्त करता है। जानकारी और कौशल निर्माण आयु उपयुक्त है और अभ्यास सत्र अभ्यास प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि बच्चे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सीख रहे बल्कि इन कौशलों का प्रयोग करने में भी सक्षम हैं यदि वे किसी असुरक्षित स्थितियों का सामना करते हैं।

बच्चे इन ज्ञान और कौशल का उपयोग कर वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं, यदि इन संदेशों को दोहराया जाता है और देखभाल करने वालों द्वारा समान कौशल में उन्हें प्रखर किया जाता है। जब एक बड़े व्यक्ति या जिनसे वे प्यार, विश्वास, डर या सम्मान करते हैं, द्वारा शोषण किया जाता है तो अक्सर बच्चे को लगता है कि शोषित होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार बच्चों को सवाल किए बिना सम्मान और पालन करना सिखाया जाता है। इसके अलावा, कई बच्चों व्यक्तिगत सुरक्षा कक्षाओं में सीखने का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं होता है। PSE में, हम कुछ मुद्दों को हल करते हैं। हम उन्हें समझने में मदद करते हैं कि वे अद्वितीय और विशेष व्यक्ति हैं जो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और उनके पास सुरक्षित करने का अधिकार है। हम निरंतर इस तथ्य पर ज़ोर देते हैं अगर कोई छूने का नियम तोड़ता है, इसमें बच्चे की ग़लती कभी नहीं होती है।

11

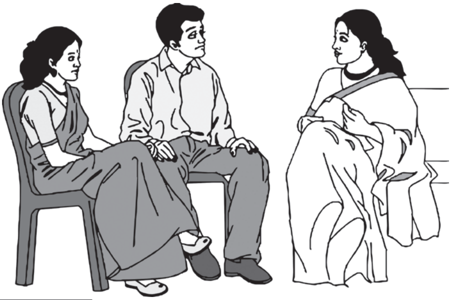

बाल लैंगिक शोषण के मामलों में हस्तक्षेप

प्रश्न i

यदि मैं किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में आता हूं जो लैंगिक शोषण का शिकार हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए?

वयस्क के रूप में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण में ले जाएं जिसमें वे बता सके कि क्या हुआ है।

क) जो हुआ उसके बारे में बात करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, लेकिन जो नहीं हुआ, उसके बारे में बातचीत न करने के प्रति सावधान रहें - अक्सर बच्चे वयस्क को खुश करना चाहते हैं और वयस्क के कहने पर कुछ भी करने का तैयार हो जाते हैं। बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा तरीका एक सक्रिय श्रोता होना है, बच्चे या शोषणकर्ता या क्या हुआ के बारे में कोई निर्णय न करें। ''क्यों'' जैसे शब्दों की बजाय ''आगे क्या हुआ?'' जैसे प्रश्न

पूछना कम निर्णायक होते हैं।

ख) शांत रहें। भावनात्मक होने से बचें जो जानकारी साझा करने में बच्चे को प्रभावित कर सकता है जैसे गुस्सा (बच्चा महसूस कर सकता है कि आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं) या उदासी (बच्चा मुकर सकता है क्योंकि वह आपको अपने कारण दुखी नहीं करना चाहता।)

ग) कृपया बच्चे को कहानी दोहराने के लिए मज़बूर न करें या इस तरीके से पूछताछ न करें कि बच्चे के लिए धमकी बन जाए या बच्चे को बार बार शोषित महसूस करे|

घ) बच्चे को सुनिश्चित करें कि "आप बहादुर हैं"। उन्हें बताएं की आप मदद करने की कोशिश करेंगे। सहायता करने की प्रक्रिया में बच्चे को भी शामिल करें। आगे आप क्या करेंगे और कैसे आप बच्चे को शामिल करेंगेयह बच्चे की उम्र पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, एक बड़े बच्चे के साथ आप उन्हें किसे और कैसे बताने के अधिक विकल्प दे सकते हैं लेकिन युवा बच्चों के लिए विकल्प कम होंगे और आमतौर पर सबसे पहले गैर-दोषी (non-offending) माता-पिता को शामिल करें।

ई) हो रहे शोषण के मामले में, बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है तो पहला कदम शोषण को तुरंत रोकना होता है। ऐसी स्थिति में आपको बच्चे के माता-पिता/शिक्षक/देखभाल करने वालों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है, अगर शोषणकारीपिता ने घर नहीं छोड़ा और मां ने बच्चे का समर्थन नहीं किया, तो बच्चे को घर के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता होगी। (अधिमानतः एक रिश्तेदार या अंतिम उपाय एक संस्था है)।

च) कृपया बच्चे के साथ ईमानदार रहें और बच्चे को बताएं कि आप अपनी बात को गोपनीय रखेंगे और केवल उन लोगों को बताएंगे जिनकी आपको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता होगी।

छ) बच्चे को आश्वस्त करें कि उसने कुछ भी ग़लत नहीं किया है। बच्चे ने बताने के लिए आपको चुना है जिसका मतलब हो सकता है कि वह संवेदनशील विषय पर आपसे बात करने में सहज महसूस करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, बच्चे से पूछें कि क्या वे बताने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं जैसे उससे आगे की बात करें।

ज) बच्चे की सहायता के लिए एक परामर्शदाता (Counsellor) को शामिल करते हुए उसके लिए सहायता मांगे, लेकिन ऐसा केवल शुरुआती बातचीत के बाद ही किया जाए। मदद लेने के लिए बच्चे से बात करना न छोड़ें। बच्चे से जानें कि अगला कदम क्या है और इन कदमों के लिए उन्हें तैयार करें। जहां तक संभव हो उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।

झ) अगर बच्चे का लैंगिक शोषण हुआ है तो बच्चे के लिए एक चिकित्सा जांच का प्रबंध करें। एक चिकित्सा का चयन करें जिसे बच्चों की जांच, लैंगिक और शारीरिक आघात की पहचान करने का अनुभव हो।

ट) अगर बच्चा/परिवार प्राथमिकी दर्ज करना चाहता है, तो कृपया एक अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ से कानूनी सहायता लें।

ठ) यह हमेशा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपचार और न्याय की पूरी प्रक्रिया में बच्चे के हितों और जज़रूरतों प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रश्न ii

सग-संबंधी द्वारा लैंगिक शोषण के मामले में कोई व्यक्ति, जो कि उस परिवार का सदस्य नहीं है, कैसे और कितना हस्तक्षेप कर सकता है?

अनाचार के मामले में, एक परिवार के गैर-सदस्य द्वारा हस्तक्षेप निम्न तरीकों से किया

जा सकता है:

क) आप गैर शोषणकारीपरिवार के सदस्य के साथ संपर्क में रह सकते हैं और उसे विश्वास में ला सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि किसी के पति या पत्नी या प्रिय व्यक्ति पर दोषी होने का संदेह करना बहुत मुश्किल है। इसलिए, आपको गैर-दोषी परिवार के सदस्य के साथ समझ और धैर्य से काम लेना होगा। अधिकांश गैर-दोषी (non-offending) माता-पिता/अभिभावक बच्चे का समर्थन करेंगे साथ ही वे समर्थित महसूस करते हैं।

ख) हो रहे शोषण को रोकने के लिए आप बाल लैंगिक शोषण पर काम कर रहे संगठन की मदद ले सकते हैं और बच्चे की सुरक्षा कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे कुछ संगठन हैं जो कानूनी मदद के लिए हेल्प लाइन से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, कृपया दस्तावेज़ के अंत में दी गई संगठनों की सूची देखें।

ग) गैर-परिवार के सदस्य इस प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति (CWC) को शामिल कर सकते हैं। CWC को देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत पर बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने का एकमात्र अधिकार है अर्थात् उपचार, पुनर्वास के साथ बहाली और सामाजिक पुनः एकीकरण।

हालांकि, एक बार CWC शामिल हो जाती है तो घर से बच्चे को कहीं ओर ले जाने का निर्णय और बच्चे को देखभाल और सुरक्षा देने में परिवार को 'अयोग्य' घोषित करने सहित भावी कार्यवाही का निर्णय करने का एकमात्र अधिकार CWC का हो जाता है। अतः CWC से संपर्क करने का निर्णय पर्याप्त विवेचना के बाद ही किया जाना चाहिए।

प्रश्न iii

मैं वयस्कों के अनुचित व्यवहार को किस प्रकार संभालूं?

किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने के बजाय व्यवहार के प्रति प्रक्रिया करना महत्वपूर्ण है।

संभव प्रतिक्रिया के लिए संपर्क के 2 बिंदु हैं:

क) अगर आप अनुचित व्यवहार की पहचान करते हैं और

ख) अगर बच्चा आपको किसी भी अनुचित व्यवहार के बारे में बताता है।

यदि आप अनुचित व्यवहार को देखते हैं जिसका विरोध (जैसे कोई एक 'विशेष' बच्चे का दोस्त बच्चों में चुप रहने और छुपाने के लिए प्रोत्साहित करता है, या निजी उपहार देता है) या कोई लैंगिक बातचीत (जैसे, बच्चे के शरीर के भाग का मजाक बनाता है, लैंगिक शब्दों के साथ बच्चे का वर्णन करता है, या बच्चे के साथ क्या उचित है के बारे में स्पष्ट नहीं है) तो ऐसे व्यक्ति से बात करना महत्वूपर्ण है। व्यक्ति का सामना न करें, केवल व्यवहार का सामना करें। आपको व्यवहार के बारे में विशिष्ट होने की आवश्यकता है, सामान्य होने की नहीं।

उदाहरण के लिए, "मैं हमेशा तुम्हें युवा लड़कियों का लैंगिक शोषण करते देखता हूं" की बजाय "मैंने पिछले सोमवार तुम्हें मीना के नितंबों को छूते देखा"। व्यक्ति को बताएं कि आप झूठे आरोप से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही शोषण से बच्चे को भी सुरक्षित कर रहे हैं। असली संदेश है कि आपने उस व्यक्ति को देखा है।

अगर एक बच्चा आपको कुछ बताता है, तो इन्हीं चरणों का पालन करें, लेकिन आप छूने/व्यवहार के समय बच्चे की भावनाओं को भी जोड़ सकते हैं।

हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि अगर व्यवहार शोषण की सीमा से ऊपर हो जाता है, तो आपको किसी व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता है जो इसे समस्या से निपट सके।

12

चिंताएं और आशंकाएं

प्रश्न i

लैंगिक शोषण जैसे संवेदनशील अवधारणाओं के बारे में माता-पिता कैसे बात कर सकते हैं?

अभिवावक होना आसान काम नहीं है। माता-पिता चुनौतियां लेते हैं ताकि वह बच्चों को अपनी पूर्ण क्षमता का अहसास करा सकते है और उन्हें सूरक्षित रख सकते हैं|

उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों से उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बातचीत करना जरूरी है| इससे वह असुरक्षित परिस्थितियों को समझ और उसका नियंत्रण रख सकते हैं| माता-पिता का इस बारे में बात करने के लिए शर्मिंदा/असहज महसूस करना स्वाभाविक है, इसका कारण इन मुद्दों के प्रति समाज का नज़रिया और वातारण है जिसमें हम पलते-बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा शर्मिंदगी से बचने और बढ़ती उम्र के साथ बातचीत जारी रखने में मदद करने के लिए उचित शब्दावली बताती है। उदाहरण के लिए, छूने का नियम (साफ़ व स्वस्थ रखने को छोड़कर किसी के द्वारा आपके शरीर के निजी अंगों को छूना,

देखना, बात करना उचित नहीं है) सरल है, मगर समग्र दिशा-निर्देश असुरक्षित स्थितियों की पहचान में बच्चों की मदद करते हैं, अजनबी द्वारा अनुपयुक्त रूप से छूना या अंकल द्वारा अश्लील साहित्य दिखाया जाना। व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया 'व्यक्तिगत सुरक्षा' भाग देखें।

अपने बच्चे के साथ बात करने की तैयारी के लिए:

क) स्वयं विषय का पता लगाएं।

आवश्यक शब्दावली के साथ सहज हो जाएं। समझें कि क्यों आप नियमों या विषय के साथ असहज महसूस कर सकते हैं। पहले अपने पति या पत्नी और दोस्तों के साथ शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करें। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो आपके बच्चे को पता चल जाएगा। यह जानते हुए कि आप असहज महसूस कर रहे, बच्चे आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि वे स्वयं से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य कारण यह हो सकता है कि वे शरीर के निजी अंगों की शब्दावली का प्रयोग करने के दंड से डर रह हों। मदद के लिए अन्य विकल्प वेबसाइट (अर्पण की वेबसाइट पर सूचीबद्ध) जैसे परिवार के बाहरी स्रोत हो सकते हैं या बाल रोग विशेषज्ञों/स्त्रीरोग विशेषज्ञों/सलाहकारों से पेशेवर मदद लें।

ख) सीखने योग्य क्षणों का प्रयोग करें। यही कारण है कि समय लेने से पहले कभी-कभी विषय उठता है। सीखने योग्य क्षण वे होते हैं जब बच्चे सवाल पूछते हैं या जिसे वे जानते हैं, को कुछ होता है। इन सीखने योग्य क्षणों का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

प्रश्न ii

कई बार छोटे बच्चों को उनके निजी अंगों को स्पर्श करते हुए देखा जाता है, क्या यह बाल लैंगिक शोषण का लक्षण है अथवा यह किसी व्यक्ति की लैंगिकता का प्राकृतिक प्रतिबिंब है?

प्रत्येक कार्य को उससे संबंधित ढांचे के अनुसार देखा जाना चाहिए। एक देखभालकर्ता के रूप में, आपको इस परिस्थिति के लिए प्रतिक्रिया देने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा अपने शरीर के निजी अंगों को क्यों, कैसे और कब छू रहा है। एक बच्चे का उसके निजी अंगों के लिए प्राकृतिक रुझान होना बाल लैंगिक शोषण का सूचक नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्वयं को जिज्ञासा से लेकर ध्यान ना देना से लेकर आराम पाने तक के लिए कई कारणों से छूते हैं। बच्चे अक्सर ऐसे लैंगिक व्यवहार में संलग्न होते हैं जो कि विकास संबंधित जिज्ञासा पर आधारित होता है। यह सामान्य बात है और ये बच्चे आम तौर पर रुकने के लिए कहने पर ऐसा करना बंद कर देते हैं या फिर वे बड़े होने पर स्वाभाविक रूप से बंद कर देते हैं।

हालांकि, एक देखभालकर्ता के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप बिना कठोर, शर्मिंदा हुए या इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना उस स्थिति के लिए प्रतिक्रिया दें।

उदाहरण के लिए, बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा नियम याद दिलाना पर्याप्त हो सकता है। लेकिन जब बच्चों का उनके शरीर के निजी अंगों को छूना इस हद तक हो जाए कि यह उनकी अन्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दे, तब आपको इस तरह के व्यवहार के लिए कारणों का पता लगाने के लिए आगे जांच करने की ज़रूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लैंगिक शोषण का अनुभव किया हो या फिर हो सकता है कि वे बस सेक्स और कामुकता के बारे में भ्रमित हैं। ऐसी स्थितियों में बच्चों को नरमी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए और यदि यह अनुचित व्यवहार जारी रहता है तो उन्हें चिकित्सकीय सहायता के लिए रेफर किया जाना चाहिए।

प्रश्न iii

जब बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते हैं तो हम उनकी जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति को किस प्रकार संभालें?

बच्चों को उनके सवालों और चिंताओं का सम्मानजनक तरीके से जवाब प्राप्त करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि वयस्कों को पूछे जाने पर आयु के अनुसार उपयुक्त जानकारी देना चाहिए और उनके सवालों का जवाब गंभीरता से देना चाहिए (जैसे कि, बच्चे की उसकी जिज्ञासा के सवाल पर हंसी नहीं उड़ाएं)। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता और बच्चे के बीच खुल कर बात करना शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।

ज़रूरी है कि माता-पिता और शिक्षक इस तरीके से जानकारी दें जिसे बच्चा आसानी से समझ सके। इस निजी सुरक्षा सबक की शब्दावली और प्रसंग इसमें मदद करते हैं: शरीर के निजी अंगों की शब्दावली, सरल सुरक्षा नियम, एवं आयु के अनुसार उपयुक्त सरल उदाहरणों का उपयोग। माता पिता अपने लिए इन पाठों का उपयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, आप अपने छोटे बच्चे के साथ मिलकर इस व्यक्तिगत सुरक्षा वर्कबुक का उपयोग कर सकते हैं।

अभिभावकों / शिक्षकों के रूप में हम और अधिक सतर्क और स्नेही हो सकते हैं, और बच्चों के कार्यों के बारे में उनके साथ नरमी से बात कर सकते हैं। साथ साथ, बच्चों को कुछ ऐसे गुण सीखने चाहिए जिससे उन्हें अपनी और साथ ही दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने और उनका सम्मान करने में मदद मिलेगी।

बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वे दोस्तों के एक समूह का हिस्सा रहना चाहते हैं। साथियों का दबाव अक्सर असहज या ख़तरनाक भी हो जाता है (ड्रग्स, शराब, सेक्स)। कई बार बच्चे साथियों की मंज़ूरी पाने के लिए असुरक्षित स्थितियों के लिए भी तैयार हो जाते हैं।

अभिभावक अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें इस बारे में आत्मविश्वास दिला सकते हैं कि यदि कोई उन्हें इस तरह से छूता है जिससे उन्हें, गुस्सा आता है, दुख होता है या उलझन महसूस होती है, या उन्हें महसूस होता है कि वे एक असहज और असुरक्षित स्थिति में फंस गए हैं, तो उन्हें उसे मना करने का अधिकार है। हालांकि, किशोरों का नियमों को तोड़ना सामान्य बात है क्योंकि वे नए नियमों और ज़िम्मेदारियों को आज़माना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंधों में संलग्न होने के लिए सहमत हो जाते हैं (इस प्रकार छूने के नियम को तोड़ देते हैं)।

माता-पिता के लिए ज़रूरी है कि वे उचित और सकारात्मक अनुशासन के द्वारा किशोरों के लिए सीमाएं बनाएं और उन्हें अपने अनुभवों से समझने एवं सीखने में मदद करें। इसके बजाय, अगर वे बच्चों को मारपीट करके या मौखिक रूप से परेशान करना जारी रखते हैं, तो वह बच्चा माता पिता के समर्थन से दूर हो सकता है और अनुचित व्यवहार करना जारी रख सकता है।

प्रश्न iv

जब बच्चे दुर्घटनावश माता-पिता को संभोग करते देख ले तो हमें ऐसे स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए?

यदि बच्चे ग़लती से माता पिता को सेक्स करते देख लेते हैं, तो यह लैंगिक शोषण नहीं है। हालांकि, माता पिता को सेक्स करते समय एकांतता का प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी है कि इस मामले में बच्चों के साथ बात की जाए और एक खुली संचार शुरू की जाए। किसी भी कीमत पर इस मामले को टाला नहीं जाना चाहिए और बच्चों से झूठ नहीं बोला जाना चाहिए।

बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार उचित तथ्यात्मक जानकारी दी जानी चाहिए नहीं तो उन्हें विरोधाभासी बातें पता चलेंगी। संभावित है कि बच्चे को यह जानकारी अन्य स्रोतों से मिले

जो ज़्यादातर मामलों में मिथक या पॉर्नोग्राफ़ी हो सकता है। यदि बच्चों ने प्रारंभिक वर्षों से ही व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा प्राप्त की है और माता-पिता का अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बातचीत का चैनल है, तो बच्चों और माता पिता दोनों के लिए इन स्थितियों को संभालना आसान हो जाता है।

प्रश्न v

जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं तो हम कैसे ज़वाब देना चाहिए?

बच्चे जिज्ञासु होते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते हैं; वे बढ़ रहे हैं और हर दिन कई नई बातें उनके सामने आती हैं। जब बच्चे सवाल पूछें, तो हमें उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक उचित तरीके से ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। इन सवालों के जवाब देने के लिए कोई एक तरीका नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और उनका चीज़ों को समझने का तरीका अलग हो सकता है। इन समय में, ज़रूरी है कि बच्चे के साथ गुस्सा नहीं करें या शर्मिंदा न हों (शर्मिंदगी दिखाएं) या बच्चे को इस तरह के सवाल पूछने से नहीं रोकें या प्रश्न को अनदेखा न करें। माता-पिता ऐसे तरीकों की मदद ले सकते हैं जो उन्हें बच्चों को एक उम्र के अनुसार उचित ढंग से तथ्यात्मक रूप से जवाब देने में सहज महसूस करने में मदद कर सकते हैं। माता पिता को अगर उस समय उनके सवाल का जवाब पता नहीं है तो वे अपने बच्चों यह बता सकते हैं।

फिर यह माता-पिता की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वे इस सवाल का जवाब खोजें और बच्चे को बताएं। माता-पिता को इसका उपयोग एक बहाने के रूप में या उस सवाल से बचने के लिए नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें बच्चे द्वारा इसे दूसरी बार पूछने के लिए इंतज़ार करना चाहिए।

बच्चे को उचित रूप से शिक्षित करने के प्रयास में, माता पिता / अभिभावकों को उनकी असुविधा को दूर करने की ज़रूरत होती है। यदि आवश्यक हो, तो वे किसी परिवार के डॉक्टर / स्त्री रोग विशेषज्ञ / बच्चों के चिकित्सक / परामर्शदाता(Counsellor) जैसे पेशेवर मदद ले सकते हैं क्योंकि वे बच्चे को इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं। हालांकि, बच्चे पैदा होने से संबंधित प्रश्नों पर प्रथम सलाह के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा शब्दावली मदद कर सकती है।

प्रश्न vi

जब बच्चा ऐसे सवाल पूछे कि जब माता-पिता में से कोई एक अपने कपड़े बदल रहा होता है तो उन्हें कमरे में क्यों नहीं जाने दिया जाता? उस समय माता-पिता में से दूसरा अंदर क्यों जा सकता है तो माता-पिता को किस प्रकार जवाब देना चाहिए?

माता-पिता छोटे बच्चों को छूने के नियम की याद दिलाकर इसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि, हो सकता है कि बड़े बच्चे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हों और वे जानते हों कि जब पिता कपड़े बदल रहे हैं तो मां को अंदर जाने की अनुमति या इसके विपरीत क्यों होती है। सेक्स निजी भागों से संबंधित होता है लेकिन साथ ही एकांतता से भी संबंधित है।

सेक्स और एकांतता का संबंध रिश्तों के साथ होता है और अलग अलग रिश्तों में लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक दोस्त का हाथ पकड़ सकते हैं, अपने माता-पिता को गले लगा सकते हैं, अपने पड़ोसी को मौखिक रूप से बधाई दे सकते हैं, लेकिन दुकानदार को सिर्फ हाथ मिलाकर बात करते हैं। यही अंतर पति-पत्नी और माता पिता के बीच संबंध में है। उदाहरण के लिए, उनका ध्यान संबंधों में उन अंतरों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो माता-पिता का अपने बच्चों को साथ होता है और जो उनका आपस में होता है: “क्या आपकी मां आपकी देखभाल करती है? क्या

वह उसी तरह से आपके दोस्तों या पड़ोसियों की देखभाल करती है?" जिस तरह से वह आपके पिता का खयाल रखती है क्या वह वही सब आपके लिए भी करती है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वह केवल आपके लिए करती है और कुछ वह केवल आपके पिता के लिए, या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ही करती है। इसी तरह आपके पिता जिस तरह आप का ख्याल रखते हैं और जिस तरह वह अन्य लोगों का ख्याल रखते हैं वह अलग होता है। आपके माता-पिता एक-दूसरे को अलग तरह से प्यार करते हैं। इसलिए हम सभी की अलग अलग लोगों के प्रति ज़िम्मेदारियां अलग अलग होती हैं और हम अलग ढंग से उनके प्रति हमारे प्यार का इजहार करते हैं। इसी तरह जब तुम बड़े हो जाओगे, तो तुम्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें करने की अनुमति होगी जो तुम अभी नहीं कर सकते या अभी समझ नहीं सकते हो। आपके माता-पिता वयस्क हैं और उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का और एक दूसरे का ख्याल रखने का तरीका अलग होता है"

प्रश्न vii

क्या मैं बच्चे द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिए जाने के लिए समाचारों अथवा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों से उनको कहानी बता सकता/सकती हूं?

इस तरह की कहानियां साझा करने के लिए हमारे इरादे अच्छे होते हैं। हालांकि ख़बरों या शो में प्रदर्शित इन कहानियों की सामग्री बच्चों के लिए आयु उपयुक्त नहीं होती हैं। इसे बच्चों के लिए नहीं वयस्क दर्शकों के लिए लिखा जाता है। यह बच्चों में भय पैदा कर सकता है और उनमें असुरक्षा की भावना को बढ़ा सकता है, इस प्रकार उन्हें और अधिक कमज़ोर बना सकता है। सशक्त बनाने का अर्थ भय पैदा करना नहीं है। बल्कि यह उम्र के अनुसार उचित जानकारी के द्वारा शिक्षा और कौशल प्रदान करना है ताकि बच्चे जागरूक रहें और अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें।

प्रश्न viii

यदि बच्चा माता-पिता से कुछ छिपाता है जैसे कि अपने परिणाम के बारे में अथवा स्कूल की मीटिंग के बारे में, तो पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि बच्चे पर चिल्लाया जाता है अथवा उसे मारा-पीटा जाता है। ऐसे परिस्थिति में इसके बजाय क्या किया जा सकता है?

पश्चिम में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक हिंसा से बेहतर स्कूल परिणामों में मदद नहीं मिलती है और अक्सर वास्तव में इससे स्कूल परिणाम और खराब हो जाते हैं। माता-पिता को अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए सकारात्मक वैकल्पिक तरीके ढूंढ़ने चाहिए। यह मुश्किल होता है क्योंकि हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे माता-पिता ने हमारे साथ किया था। हमें कुछ अलग सीखने के लिए समय की ज़रूरत है। लेकिन हम सब यह करने की कोशिश कर सकते हैं:

क) बच्चे के साथ बात करें और जानकारी साझा नहीं करने के बारे में उसका / उसकी धारणा और कारण के बारे में पूछें।

ख) उसे विश्वास दिलाएं कि उसे जिन चुनौतियों का अंदेशा है हम उन पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं और कोई समाधान निकाल सकते हैं।

जब हम बच्चे के ऊपर चिल्लाते या उसे मारते हैं तो उसे सज़ा का कारण समझ नहीं आता है क्योंकि ज़्यादातर इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। बच्चा इस व्यवहार को सीखता है और अक्सर जिन अन्य लोगों के साथ उसका संबंध है उनके साथ वही व्यवहार करता है। वे सीखते हैं कि मारना / हिंसक व्यवहार करना ठीक है। हमेशा ग़लती के बारे में बातचीत करें और बच्चे को बताइए कि इसके बजाय क्या चीज़ बेहतर मददगार हो सकती थी।

माता पिता और बच्चे के बीच बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बच्चों को माता-पिता के साथ खुल कर बात करने और उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए जगह देता है।

प्रश्न ix

शिक्षक बिना किसी लैंगिक मंशा के बच्चों को छूते हैं लेकिन कई बार उन पर बच्चों का लैंगिक शोषण करने का आरोप लगता है। कुछ शिक्षक युवा होते हैं और कई बार बच्चे विपरीत लिंग के शिक्षकों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या यह बच्चे का दोष है और शिक्षक का नहीं?

प्रेम आकर्षण होना आम और सामान्य बात है। शिक्षकों को सीमाएं और कुछ मायनों में झूठे आरोप से बचने के लिए पता होनी चाहिए।

1. शिक्षक एक सीमा बनाए रख सकते हैं, जितना संभव हो सके अपने छात्रों को छूने से बचें।
2. छात्र के साथ अकेले रहने से बचें जब तक कि दरवाज़ा खुला न हो या कोई अन्य व्यक्ति गवाही के रूप में उपलब्ध न हो।
3. किसी शिक्षक को किसी छात्र को छूने से पहले, जैसे कि युवा छात्रों को गले लगाना, अच्छा है कि शिक्षक छात्र से पूछ ले कि क्या यह उसके लिए ठीक है। बच्चों को यह जानकारी दें कि वे अगर वे परेशानी महसूस करते हैं तो वे उसे कभी भी बता सकते हैं।
4. चेहरे या अन्य भावों पर ध्यान दें जो कि एक छात्र की असुविधा का संकेत दे सकते हैं। यदि छात्र स्पर्श के साथ परेशानी का कोई संकेत देता है, तो शिक्षक को उस तरीके से छात्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे का आश्वासन बहुत ज़रूरी है चाहे संबंधित वयस्क का इरादा कुछ भी हो।
5. कुछ स्थितियों में एक ख़ास उम्र के बच्चे अपने शिक्षक के बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं। हालांकि, एक वयस्क के रूप में शिक्षक को स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखने और साथ ही इसके बारे में बच्चों के साथ बात करना चाहिए। इस तरह की स्थिति में यह न तो बच्चे की और न ही वयस्क की ग़लती होती है लेकिन इस स्थिति को अच्छी तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। सभी बच्चे, चाहे वह लड़के हों या लड़कियां, अपने आसपास के वयस्कों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जो जरूरी नहीं कि वह लैंगिक/ शारीरिक आकर्षण या प्रेम हो।
6. छात्रों के साथ स्कूल के बाहर कोई भी रिश्ता कायम न करें, जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया और फ़ोन के माध्यम से, विशेष रूप से कोई भी लैंगिक रिश्ता।

प्रश्न x

अपने बच्चे के साथ यौवन आरंभ होने के बारे में बात करने की सही उम्र क्या है?

यौवन ऐसी कोई जादूई उम्र नहीं है जिसमें आप यौवनके बारे “बात” कर सकते हैं। लेकिन बातें करना एक अच्छा विचार है। बेहतर है कि आप अपने बच्चे के साथ यौवन के कोई लक्षण विकसित होने से पहले बात करें ताकि वे उनके लिए अजीब या शर्म की चीज़ न हो। यदि आपका बच्चा जानता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, तो यौवन में आने वाले परिवर्तनों को अपनाना आसान हो जाएगा। कुछ माता पिता उनके बच्चे के सवाल पूछने तक प्रतीक्षा करते हैं। यदि आपका बच्चा शर्मीला है, या सवाल नहीं पूछता है, या उसके शरीर के निजी अंगों के बारे में शर्म की भावना रखता है, तो आप पहल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बात करने से पहले यदि परिवर्तन होने लगें, तो आपके बच्चे में उलझन या भय पैदा हो सकता है।

यदि आपने अभी तक यह वार्तालाप शुरू नहीं किया है और आपके बच्चे में पहले ही यौवन के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, तो इनके बारे में बात शुरू करने में संकोच नहीं करें। इस बारे में उनसे बात करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। यदि उन्हें उनके शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों से संबंधित जानकारी आपके द्वारा प्राप्त नहीं होगी, तो संभव है कि वे इसके बारे में कहीं और से जानने की कोशिश करेंगे। उनकी प्राप्त जानकारी ग़लत और भ्रामक हो सकती है। इससे लिए जोख़िम बढ़ सकता है क्योंकि दूसरे लोग उन का फायदा उठा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 'व्यक्तिगत सुरक्षा पर सूचना' अनुभाग देखें।

प्रश्न xi

यौवन के दौरान बच्चों की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है?

यौवन के दौरान बच्चों की चिंताएं अलग अलग श्रेणियों की हो सकती हैं: रिश्ते, अपेक्षाएं, शारीरिक परिवर्तन, कामुकता, शिक्षा, और भविष्य।

यौवन से गुज़रने वाले बच्चों को बहुत आश्वासन की ज़रूरत होती है कि उनका शरीर सामान्य है। लड़कियों और लड़कों को अपने शरीर के बारे स्वस्थ भावनाएं विकसित करने में मदद की ज़रूरत होती है। उन्हें जानना चाहिए कि स्तन, लिंग, निपल्स, लेबिया (योनी के होंठ), अंडकोष और क्लाइटोरिस अलग अलग आकार और रंग के होते हैं, और वे सभी ठीक हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और यह भिन्नता ही उन्हें अलग, विशेष और अद्भुत बनाती है। यौवन के दौरान बच्चों को मासिक धर्म, लैंगिक विचारों और भावनाओं, स्वप्नदोष, सेक्स तृप्ति, हस्तमैथुन और द्वितीयक लैंगिक गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

बच्चों को व्यक्तिगत सीमाओं, स्वस्थ और अस्वस्थ संबंधों के बारे में जानकारी के साथ-साथ सम्मान और ज़िम्मेदारी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

बच्चों को, खुद को सुरक्षित रखने, असुरक्षित स्थिति के मामले में मुखर होने के बारे में जानना चाहिए, उदाहरण के लिए लैंगिक दादागीरी और साथियों के दबाव का कैसे जवाब दें।

प्रश्न xii

क्या लड़कों को लड़कियों के यौवन आरंभ होने के बारे में जानना चाहिए? क्या लड़कियों को लड़कों के यौवन आरंभ होने के बारे में जानना चाहिए?

हां। निश्चित रूप से। इस बारे में जानकारी होने से कि दोनों लिंगों में क्या हो रहा है, बच्चों की स्वास्थ्य जिज्ञासा संतुष्ट होती है। यह उन्हें आश्वस्त करता है कि हर व्यक्ति यौवन के माध्यम से गुज़रता है, और उनमें अन्य सेक्स के बारे में सम्मान और समझ को मज़बूत बनाता है। दोनों लिंगों में यौवन के बारे में जानने से बच्चों को प्रजनन कैसे होता है यह समझने में मदद मिलती है। जब यह जानकारी एक उम्र अनुसार उचित, निष्पक्ष ढंग से प्रदान की जाती है तो इससे सहानुभूति भी उत्पन्न हो सकती है।

प्रश्न xiii

क्या माता का बेटे से और पिता का बेटी से यौवन आरंभ होने के बारे में बात करना उचित है?

हां। यह हमारे बच्चों को यह दिखाने के लिए अच्छा है कि वयस्कों को महिलाओं और पुरुषों दोंनो के शरीर के बारे में जानकारी होना सामान्य है। बच्चे उनके जीवन में अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। और जब बच्चे अलग-अलग लोगों के साथ होते हैं तो चर्चा के लिए विभिन्न अवसर पैदा हो सकते हैं -आपका बच्चा आपके साथी से एक बात और आपसे कुछ और चीज़ पूछ सकता है। यदि आप

एकल अभिभावक हैं, तो आपका बच्चा आपसे अधिकतर चीज़ों के बारे में बात कर सकता है, लेकिन वह अन्य विश्वसनीय वयस्कों से भी पूछ सकता है। यदि आपके बच्चे का कोई बड़ा भाई, बहन या परिवार का अन्य सदस्य है, तो आपका बच्चा अपने सवालों के बारे में उनके साथ भी बात कर सकता है। अंत में, बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों और कामुकता और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में खुली बातचीत से लाभ होता है।

प्रश्न xiv

माता-पिता और बच्चों के बीच अच्छे संबंधों की क्या विशेषताएं होती हैं?

एक स्वस्थ रिश्ते के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं:

1. एक दूसरे के लिए सम्मान
2. एक दूसरे की भावनाओं को समझना / सहानुभूति रखना
3. एक दूसरे पर भरोसा रखना
4. एक दूसरे की भलाई के लिए चिंता करना

एक-दूसरे को जानना। एक स्वस्थ संबंध में, किशोर सम्मान दर्शाते हैं, भावनाओं को समझते हैं, भरोसा करते हैं और फिक्र करते हैं। बेशक, सभी रिश्ते दोनों ओर से निभाए जाते हैं। तो, एक स्वस्थ माता पिता-किशोर रिश्ते में माता-पिता भी अपने किशोर बच्चे के प्रति सम्मान दिखाते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, उनकी भलाई के बारे में फिक्र करते हैं, और उनके जीवन में रुचि लेते हैं|

प्रश्न xv

मेरे बच्चे के मेरे साथ अच्छे संबंध होने से मेरे बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को क्या लाभ पहुंचेगा?

ऐसे कई कारण हैं जो जिसमें एक युवा को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में माता पिता-युवा के बीच स्वस्थ संबंध महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ मज़बूत संबंध उनके साथ किसी दुराचार होने के जोख़िम को कम कर देता है और ज़रूरत होने पर मदद पा सकता है। एक मज़बूत और खुला रिश्ता बच्चों को सशक्त बनाता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता-पिता उन्हें सपोर्ट करेंगे और उनके लिए उपलब्ध हैं। माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों के साथ स्वस्थ संबंध होने पर बच्चे पर्यवेक्षण भी स्वीकार कर सकते हैं, मूल्यों और आदर्शों को अपना सकते हैं, और सुरक्षा चरणों का पालन करेंगे।

प्रश्न xvi

मैं माता या पिता के रूप में बच्चे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या कर सकती/सकता हूं?

माता-पिता और उनके युवा बच्चों के बीच संबंधों में सुधार के लिए कई तरीके हैं।

संपर्क में रहें। हमें नियमित रूप से अपने युवाओं के साथ बात करते रहना चाहिए, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब भी। हम अपने युवाओं को बता सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और पता कर सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।

साथ में समय बिताना। परिवार इन दिनों बहुत व्यस्त रहते हैं। नौकरी, काम, और अन्य बातों के बीच, एक दूसरे के साथ का आनंद लेने के लिए अक्सर बहुत कम समय बचता है। जो कुछ भी समय हमारे पास बचता है हमें उसे अपने युवा के साथ बिताना चाहिए। इससे हमें अपने युवा के फ्री समय में से कुछ को व्यस्त करने में मदद होगी, और हम अपने युवा को बेहतर समझ पाएंगे। इससे हमें स्वस्थ संबंधों का निर्माण करने में मदद मिलेगी, और हमारे युवा

को पता चलेगा कि हम उसकी परवाह करते हैं।

वादे निभाएं। यदि हम वादे करते हैं, तो हमें उन्हें निभाना चाहिए (ऐसे वादा करें जो कि संभव हों और जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो)। जब हम अपने नियंत्रण से बाहर किसी वजह से अपने वादे पूरे करने में असमर्थ होते हैं, तो हमें इसके बारे में अपने किशोर के साथ बात करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम क्षमा चाहते हैं। हमारे युवा को पता होना चाहिए वे हमारे वादे के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं। यह विश्वास और सम्मान पाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम अपना वादा पूरा करेंगे, तो संभव है कि वे अपना वादा पूरा करेंगे।

हमारे युवाओं के साथ युवकों की तरह पेश आएं। हालांकि हमारे युवक अभी तक वयस्क नहीं हुए हैं, लेकिन वे अब बच्चे नहीं हैं और उन्हें बच्चों की तरह नहीं माना जाना चाहिए। हमें उनके साथ ईमानदार होना चाहिए। इस तरह के बयान जैसे, “तुम अभी इस बारे में जानने के लिए छोटे हो” एक युवक के समझने की क्षमता का अपमान करते हैं।

विशेष प्रयासों को पहचानें। हमें अपने युवकों को महत्वहीन नहीं मानना चाहिए। हमें उनके विशेष प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए जैसे, किसी परीक्षा में अच्छा करना, किसी खेल या परफ़ॉर्मेंस के लिए कठिन अभ्यास करना, या किसी के लिए विशेष रूप से विनम्र होना। हमें अपने युवक को वह जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। “तुम अपने बड़े भाई जैसे क्यों नहीं हो सकते?” या “तुम्हारी बहन ने मुझे कभी इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया” जैसे कथन एक युवक को बेहतर करने में मदद नहीं करते हैं। ऐसी टिप्पणियों से एक युवक को सिर्फ बुरा लगता है। हर युवा की एक विशेष ताकत होती है। हमें इन शक्तियों को पहचानना चाहिए और अपने किशोर को उन्हें बताना चाहिए।

उन्हें बताएं कि हम उनकी परवाह करते हैं। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन कितनी बार हम उन्हें यह बताने के लिए समय निकालते हैं? हमें अपना युवक को हर दिन बताना चाहिए कि हम उसकी कितनी परवाह करते हैं। हमें इसे एक आदत बना लेना चाहिए!

सहायक बनें। जब हमारे युवा का बुरा समय हो, हम उसके सहारे के लिए अपना कंधा पेश कर सकते हैं। हालांकि हमारे युवक बड़े होना चाहते हैं, उन्हें अभी भी हमारे सहारे की जरूरत होती है। हमें उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए।

चुभने वाले तानों से बचें। कभी कभी हम इस प्रकार ताने देते हैं कि उससे किसी व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है; या वह सम्मानजनक नहीं होता है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से चिढ़ाने से बचना चाहिए - विशेष रूप से दूसरों के सामने। इससे वास्तव मे पीड़ा होती है।

हास्य का उपयोग करें और खुश रहें। हम अपने युवकों के साथ हास्य का उपयोग करने, और कभी कभी अपने ऊपर मज़ाक बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपस में मज़ाक करना एक सकारात्मक संबंध को प्रोत्साहित करता है।

सीमाऐं और नियम बनाने में अपने युवा को शामिल करें। माता-पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को सीमाएं निर्धारित करने और नियमों के साथ रहने में मदद करनी चाहिए। लेकिन हम उन्हें यह निर्णय लेने में कि उनके लिए सीमाऐं और नियम क्या हैं, एक सक्रिय भूमिका दे सकते हैं।

हमारे युवकों के साथ वास्तविक रहें। हमारे युवा के साथ खुले तौर पर और अक्सर बातचीत करने से, वे हमारे साथ इस प्रकार जुड़ेंगे कि हम उनकी भलाई के बारे में वास्तव में फिक्र करते हैं।

उन संगठनों की सूची जो बाल लैंगिक शोषण और उनसे संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं

पूरे भारत में	चाइल्डलाइन	टेलीफ़ोन: 022-2495 2610, 2495 2611, 2482 1098/ 2490 1098/ 2491 1098 हेल्पलाइन नं: 1098 ई-मेल: dial1098@childlineindia.org.in वेबसाइट: www.childlineindia.org.in द चाइल्डलाइन इंडिया फ़ाउंडेशन की भारत भर में 700 से अधिक साथी संगठनों के अपने नेटवर्क के माध्यम से 34 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में 366 शहरों / ज़िलों में उपस्थिति है।
बैंगलोर	असोसिएशन ऑफ़ प्रोमोशन ऑफ़ सोशल एक्शन (APSA)	34, अन्नासंदर्पालया, विमानपुरा, बैंगलौर, कर्नाटक-560017 टेलीफोन: (+91) 80-252322749 ई-मेल: projects@apsabangalore.org वेबसाइट: http://www.apsabangalore.org
	एनफ़ोल्ड	एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट 553 B, प्रथम मंजिल, 8 मुख्य सड़क, चौथा ब्लॉक कोरामंगल, बैंगलौर 560 034 टेलीफ़न: + 91-99000-94251, +91-80-25520489 ई-मेल: info@enfoldindia.org वेबसाइट: www.enfoldindia.org
चेन्नई	तुलीर	न्यू नं.74, पुराना नं.57, ई वी के संपत रोड, वेपेरी, चेन्नई 600 007 लैंडमार्क: दीना तांथी कार्यालय के पास टेलीफोन: +91-44-43235867 ई-मेल: tulircph बाल लैंगिक शोषण @yahoo.co.in वेबसाइट: www.tulircphcsa.org
दिल्ली	राही	B- 200 चितरंजन पार्क, दूसरी मंज़िल, नई दिल्ली 110091 टेलीफ़ोन: 011 41607055 ई-मेल: info@rahifoundation.org वेबसाइट: www.rahifoundation.org

गोवा	चिल्ड्रन्स राइट्स इन गोवा (C.R.G.)	चिल्ड्रन्स राइट्स इन गोवा फ्लैट नं.11, हाउस नं. 754 / 1 दूसरी मंजिल, क्रिस्टीना अपार्टमेंट पोरवोरिम, बर्देज़, गोवा - 403 521 टेलीफोन: 00 91 832 2426518 ई-मेल: crg.goa@gmail.com वेबसाइट: www.childrightsgoa.org
गुड़गांव	स्कूल ऑफ़ लाइफ़	P-81, साउथ सिटी 1, गुड़गांव, हरयाणा टेलीफ़ोन: 0124-4286360, 0124-4286362 ई-मेल: contactus@schooloflife.org.in वेबसाइट: www.schooloflife.org.in
जोधपुर	मानव कल्याण संस्थान - मानव कल्याण सोसायटी	50, लक्ष्मी नगर जोधपुर 342010, इंडिया टेलीफ़न: 00 91 291 255 0390 ई-मेल: manavkalyan@hotmail.com
मुंबई	आरंभ	आरंभ इंडिया 401, चौथी मंझिल एसी मार्केट, ताड़देव, मुंबई 400 034। टेलीफोन: +91 9892210066 ई-मेल: info@aarambhindia.org वेबसाइट: www.aarambhindia.org
	आंगन	आंगन ट्रस्ट 1/48 ताड़देव ए / सी बाज़ार ताड़देव, मुंबई 400 034 टेलीफ़ोन: +91 (0) 22 23 525 832 ई-मेल: contact@aanganindia.org वेबसाइट: www.aanganindia.org
	अर्पण	पहली मंज़िल, डेल्टा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, J / 1, कामा औद्योगिक क्षेत्र, कार्यालय वाल भट्ट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई 400063, भारत टेलीफ़न: 022 2686 2444/2686 8444 ई-मेल: info@arpan.org.in वेबसाइट: www.arpan.org.in

	बालप्रफुलता, एक बाल अधिकार संगठन	प्लॉट नं 5/1, 11 / बी / 11, विशाखा सोसायटी, नागरी निवारा कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400065 टेलीफोन: 9619730382 ई-मेल: write2vidhayakbharti@gmail.com
	CEHAT	मुख्य कार्यालय CEHAT सर्वे नं 2804 व 2805 आराम सोसायटी रोड, वाकोला सांताक्रूज पूर्व मुंबई - 400 055 टेलीफ़न: 91-22-26673571 / 26673154 ई-मेल: cehat@vsnl.com शाखा कार्यालय पहल 203, चर्च व्यू अपार्टमेंट सेंट एंथोनी रोड वाकोला, सांताक्रूज पूर्व मुंबई - 400 055 टेलीफ़ैक्स: 91-22-26661690 ई-मेल: pehel@vsnl.net दिलासा विभाग नं 101 के बी भाभा नगरपालिका अस्पताल आर के पाटकर मार्ग बांद्रा वेस्ट मुंबई - 400 050 टेलीफ़ोन: 022-26400229 (प्रत्यक्ष) 022-26422775 / 266422541 एक्सटेंशन 4376,4511 ई-मेल: dilaasa@vsnl.com
	FACSE - बच्चों के लैंगिक शोषण के खिलाफ फोरम	मुंबई टेलीफ़ोन: 9869989841 ईमेल: facse95@gmail.com
	जीवन आधार ट्रांसफ़ॉर्मेटिव आफ़्टरकेयर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	रुस्तमजी रीगल सीएचएस लिमिटेड, दुकान नं S-01 और S -02, ग्राउंड फ्लोर, रुस्तमजी एकड़, जे एस मार्ग, दहिसर पश्चिम, मुंबई 400068 टेलीफ़ोन: ई-मेल: vf@vsnl.com

	मजलिस	मजलिस कानूनी केंद्र A 2/4 गोल्डन वैली, कलिना, मुंबई 400098 भारत टेलीफ़ोन: 91-22-26662394 / 26661252 ईमेल: majlislaw@gmail.com
	रूबरू	218, प्रेम बाग, पहली मंजिल, रुइया कॉलेज के पीछे लेन, कॉलोनी नर्सिंग होम के पास, सर भालचंद्र रोड, माटुंगा (सेंट्रल रेलवे), मुंबई - 400019 टेलीफ़ोन: 9619061805, 098209 31171 ई-मेल: rubarooindia@gmail.com वेबसाइट: http://www.rubarooindia.com/wp/
	द फ़ाउंडेशन	पंजीकृत कार्यालय: बी-402, न्यू सागर दर्शन, डॉ ई Hatiskar मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025 कार्यालय पता: 21-D, तीसरा फ़्लोर, फिल्म सेंटर बिल्डिंग, 68, ताड़देव रोड, ताड़देव, मुंबई 400034 टेलीफ़ोन: 91 22 23521641 ई-मेल: suchismita.thefoundation@gmail.com वेबसाइट: www.thefoundation.in/project-h.e.a.l.html
पुणे	मुस्कान - बाल लैंगिक शोषण के खिलाफ एक पहल	पुणे टेलीफ़ोन: 9822377348 मुस्कान हेल्पलाइन: + 91-9689062202 ई-मेल: muskaanpune@gmail.com

ग्रन्थसूची (बिबिलियोग्राफ़ी)

शिकागो चिल्ड्रन्स एडवोकेसी सेंटर, एवं टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रन्स सर्विसेस, डी. डी. Stop it Now! स्टॉप इट नाउ से लिया गया!: http://www.stopitnow.org/faq/faqs-on-prevention-for-children-with-disabilities

किड्स इन द नो। बाल संरक्षण के लिए कनाडा के केंद्र से प्राप्त: https://www.kidsintheknow.ca/app/en/parents-faq

प्लान्ड पेरेन्टहुड। प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेशन ऑफ़ अमेरिका से लिया गया Inc. 1-800-230-PLAN: https://www.plannedparenthood.org/parents/puberty-101-for-parents

प्लान्ड पेरेन्टहुड. प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेशन ऑफ़ अमेरिका से लिया गया: https://www.plannedparenthood.org/parents/parent-teen-relationships

स्टॉप इट नाउ! यूके एवं आयरलैंड. चाइल्ड्स प्ले? बच्चों और युवाओं में शोषण को रोकना। स्टॉप इट नाउ!

स्टॉप इट नाउ! यूके एवं आयरलैंड. इंटरनेट एवं बच्चे - समस्या क्या है? स्टॉप इट नाउ!

आप इस संसाधन के लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं:

http://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/tip_sheet_behaviors_to_watch_for.pdf

http://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/lets_talk.pdf

संसाधन

अर्पण के निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के कोर्सेस **www.arpanelearn.com.** पर मुफ्त में उपलब्ध है। यहाँ वयस्क और बच्चे सुरक्षा के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

१. बच्चों के लिए ऑनलाइन संसाधन

अ. मेरी सुरक्षा किताब (उम्र ४+)

ब. व्यक्तिगत सुरक्षा कोर्स (उम्र ८ से १०)

अर्पण के अन्य संसाधन **www.arpan.org.in** पर उपलब्ध है।

१. वयस्कों के लिए ऑनलाइन संसाधन

अ. बाल लैंगिक शोषण: प्रतिबंध और प्रतिक्रिया देखभालकर्ताओं के लिए हस्तपुस्तिका

ब. बाल लैंगिक शोषण का प्रसार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

२. पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन संसाधन

अ. बचाव एवं उपचार

ब. Between the Lines - An analysis of media reportage on Child Sexual Abuse (यह सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है)

क. Recounting Abuse, Reporting Abusers: Reflecting from Survivors on Mandatory reporting (यह सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है)

३. प्रशिक्षकों के लिए संसाधन

अ. व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा प्रशिक्षण किट

अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें : communications@arpan.org.in

हमारे समर्थक:

ate CHANDRA FOUNDATION

Azim Premji Philanthropic Initiatives

Deloitte.

Goldman Sachs

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

KARL-JOHAN PERSSON

MANANTRUST

Our Mission... Your Growth CAMS

PEGASUS

R. JHUNJHUNWALA FOUNDATION

Reliance Foundation

ROHINI NILEKANI philanthropies

SBI FOUNDATION Service Beyond Banking

SHARE & CARE FOUNDATION

TATA TRUSTS

THE GLOBAL FUND FOR Children

THE MARSHALL FOUNDATION

unicef for every child

अर्पण

बाल लैंगिक शोषण से मुक्ति की ओर

अर्पण, यह एक मुंबई में स्थित संस्था है जिसका उद्देश्य बाल लैंगिक शोषण की रोकथाम और उपचार है| यह पुस्तिका अर्पण के जागरूकता और प्रशिक्षण सत्रों में माता-पिता, शिक्षकों और अन्य हिताकारों के अक्सर पूछे गए प्रश्नों और चिंताओं को एकत्रित करने का प्रयास है|

आशा है की इस पुस्तिका से हित्कारों को बाल लैंगिक शोषण समझने के लिए जानकारी एंड शब्दावली प्राप्त होगी और साथ ही साथ उन्हें कानूनी हस्तक्षेप, दूसरों को बताना, व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा संबंधी जानकारी और प्रभाव और उपचार के बारे में संस्क्षिप्त एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी|

अर्पण ऑफिस
अर्पण हाऊस, डेल्टा केमिकल्स प्रा. लि.,
J / 1, कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट,
ऑफ वाल भट्ट मार्ग, गोरेगांव ईस्ट,
मुंबई 400063, भारत

जानकारी के लिए
T 26862444 | 26868444
M +91.98190.51444
E info@arpan.org.in
www.arpan.org.in
www.arpanelearn.com

काउंसलिंग के लिए
M +91.98190.86444
E support@arpan.org.in

www.sixofusdesign.com